हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 सितम्बर, 1989

खण्ड 2, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 11 सितम्बर, 1989

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव –	(1)1
तारांकित प्रश्न एव उत्तर	(1)10
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)39
घोषणायें–	
अध्यक्ष द्वारा–	
(1) पैनल आफ चेयरमैन	(1)41
(2) कमेटी औन पैटीशंज	(1)42
अनुपस्थिति की अनुमति– कुमारी मेधावी कीर्ति, एम० एल० ए० को	(1) 42
घोषणा–	
सचिव द्वारा–	

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(1) 43
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1)44
सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज पत्र	(1) 47
वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (पहली किस्त) पेश करना	(1) 49
ऐस्मिएटटस कमेटी की वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (पहली किस्त) पर रिपोर्ट पेश करना	(1) 49
विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समये बढ़ाना	
(1) श्री हजारी लाल, पुलिस उप–अधीक्षक, जींद के विरुद्ध	(1) 50
(2) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम० एल० एज, के विरुद्ध	(1) 50
(3) साप्ताहिक पींग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक, श्री डी० आर० चौधरी, के विरुद्ध	(1) 52
(4) चण्डीगढ़' पुलिस केरू सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक, तथा सुरजीत सिंह, कांस्टेबल के विरुद्ध	(1)53
(5) श्री रघु यादव, एम० एल० ए०, के विरुद्ध	(1) 54

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन –	
श्री राजेन्द्र चौधरी और श्री सीता राम जिन्दल के विरुद्ध विशेषाधिकार मामले सम्बन्धी	(1)55
नियम 64 के अधीन सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा वक्तव्य –	
हरियाणा कांग्रेस (आई') के कार्यकर्ताओं द्वारा विधान सभा का घेराव करने तथा धरना देने के प्रयास सम्बन्धी	(1) 57
वाक आउटस –	
(1) सर्वश्री महैंन्द्र प्रताप सिंह और मोहम्मद असलम खां द्वारा	(1) 58
(2) श्री रघु यादव द्वारा	(1) 62
नियम 104 तथा चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह, एम० एल० ए०, का निलम्बन	(1) 64
बिल (इन्ट्रोड्यूस्ड सदन की अनुमति से)	
दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989	(1) 65

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 11 सितम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14—00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब औबिचुअरी रैफरैंसिज होंगे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवीलाल): जनाब स्पीकर साहब, हमारी असैम्बली के पिछले इजलास से लेकर इस इजलास के अर्से के बीच हमारे कुछ साथी हमको छोड्कर चल बसे है। मैं उनके लिए औबिचुअरी रैजोल्यूशन पेश करता हूं।

श्री हैंमवती नन्दन बहुगुणा, भूतपूर्व केन्द्रिय मन्त्री

जनाब स्पीकर साहब यह सदन श्री हैंमवती नन्दन बहुगुणा, साबिक केन्द्रीय मन्त्री के 17 मार्च, 1989 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री हैंमवती नन्दन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल, 1919 ई० को उत्तर प्रदेश में गढ़वाल जिले के बुगहानी गांव में हुआ। वे 1940 ई० में राजनीति में आए और विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने स्वतन्त्रता संघर्ष में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वे 1942 ई० के भारत छोड़ा आदोलन के दौरान अंडर ग्रांउड रहैं, किन्तु 1943 में गिरफ्तार

कर लिए गए। 1945 में रिहा होने के पश्चात उन्होंने ट्रेड यूनियन आन्दोलन में हिस्सा लिया। वे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे 1952, 1957, 1962 और 1967 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गए। वे 1957 ई० में पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी मुकरर्र हुए। वे 1958 ई० से 1960 तक फिर 1962 ई० और 1963 ई० में उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल में उप मन्त्री रहैं और 1967 में वे मन्त्री बने। 1971 में वे केन्द्र में आए और 1971 से 1973 के दौरान वे केन्द्रीय संचार मन्त्री रहैं और 1973 ई० में ही वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने और 1975 तक इसी पद पर बने रहैं। केन्द्र में जनता सरकार के दौरान वह 1977 से 1979 तक कैमिकल्ज एगड फर्टिलाइजर केकेन्द्रीय मन्त्री रहैं और 1979 में ही वित्त मन्त्री बने। निधन केसमय वे लोक दल (ब) के प्रैजीडैंट थे। उनके निधन से देश एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी और एक अनुभवी पार्लियामैंटेरियन की? सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री बीर बहादुर सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री

स्पीकर साहब, यह मदन साबिक केन्द्रीय मन्त्री श्री बीर बहादुर सिंह के 30 मई, 1989 ई० को हुए दुखद निधन पर गहरा' शोक प्रकट करता है। श्री बीर बहादुर सिंह का जन्म 18 फरवरी, 1935 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के हरनाही गांव में हुआ। वे 1951 से छात्र आन्दोलन से वाबस्ता रहैं। वे 1967, 1969, 1974, 1980 और 1985 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये चुने गए। वे वर्ष 1970 से 1976

तक उप मन्त्री रहैं और 1980 से 1985 के दौरान उत्तर प्रदेश मंतिमंडल मै कैबिनेट स्तर के मन्त्री रहैं। वे सितम्बर, 1985 से जून 1988 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहैं। वे जून, 1988 में केन्द्रीय संचार मन्त्री बने और निधन तक इसी पद पर रहैं। उन्होंने दूरवर्ती देशों की यात्रा की। उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक और एक अनुभवी पालिंयामैटेरियन की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री एस० के० डे, भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री

स्पीकर साहब, यह सदन साबिक केन्द्रीय मन्त्री, श्री एस० के० डे, के 24 मई, 1989 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री एस० के० डे का जन्म 13 सितम्बर, 1906 ई० को जिला सिलहत, बंगला देश, में मेदिनीमोहल गांव में हुआ। 1949 ई० से 1953 ई० के दौरान वे राहत और क्लयाण कार्य के लिए यूनाइटिड कौंसिल की ऐग्जैक्टिव कमेटी के मैम्बर रहैं। उन्होंने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए काबिले तारीफ काम किया। उन्होंने नीलोखेड़ी पुनर्वास प्रोजैक्ट शुरू किया और कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट को चलाया। वे 1952 से 1956 ई० तक भारत सेवक समाज के केन्द्रीय बोर्ड के मैम्बर रहैं। वे 1958 से 1962 तक कम्यिनटी डिवैल्पमैंट एण्ड कोआप्रेशन के केन्द्रीय मन्त्री और 1962 से 1966 तक कम्यूनिटी डिवैल्पमैंट पंचायती राज एंड कोऔप्रेशन के मन्त्री रहैं। इसके बाद उन्होंने आल इंडिया पंचायत परिषद के प्रेजीडैंट का कार्यभार सम्भालने

के लिये मन्त्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उनके निधन से देश पंचायती राज संस्था के निर्माता और एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

श्री धर्मवीर सिन्हा, भूतपूर्व केन्द्रीय उप–मंत्री

स्पीकर साहब, यह सदन साबिक केन्द्री य उपमन्त्री श्री धर्मवीर सिन्हा के 6 अप्रैल 1989 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री धर्मवीर सिन्हा का जन्म 10 जून 1933 को बिहार के गांव बढ मे हुआ। वे एक जरनलिस्ट थे और इडिंयन फैडेरडान औफ वर्किग जरनलिस्ट्स की नैशनल कौंसिल के मैम्बर थे। 1967 से 1969 ई० के दोरान वे बिहार विधान सभा के मैम्बर और मन्त्री रहैं। वे 1971 ई० और फिर 1980 ई० मे लोक सभा के लिए चुने गए। वे 1971 से 1977 तक केन्द्र मे इनफर्मेशन एण्ड ब्रोडकास्टिंग के उप मन्त्री रहैं। उनके निधन से देश तक प्रमुख पत्रकार और एक अनुभवी पार्लियामैटेरियन की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के प्रति अपनी हार्दिक सवेंदना प्रकट करता है।

जत्थेदार सोहन सिंह जलालुस्मान, पंजाब के भूतपूर्व राज्य मन्त्री

स्पीकर साहब, यह सदन पंजाब के साबिक राज्य मंत्रीं, जत्थेदार सोहन सिंह जलालुस्मान, के 29 जुलाई, 1989 को हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। जत्थेदार सोहन सिंह का जन्म 23 जनवरी, 1901 को जिला अमृतसर के गाय जलालुस्मान में हुआ। वह

1919 मे स्वतन्त्रता संघर्ष मै कूद पड़े और मुखतलिफ आन्दोलनों में हिस्सा लेने के कारण कई बार जेल गए। उन्होने गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन में गहरी रुचि ली। स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने पंजाब के हालात आम जैसे बनाने और उजड़े हए लोगों के पुनर्वास में सरगर्म हिस्सा त्रिया। वह 1952, 1957, 1967 और 1972 ई० में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1972 से 1977 तक कौटे इंडस्ट्रीज और पब्लिक हैल्थ के राज्य मन्त्री रहैं। उनके निधन से देश एक सम्मानित स्वतंतता सेनानी और एक अनुभवी लैजिसलेटर की सेवाओ से वंचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

स्पीकर साहब, यह सदन हरियाणा विधान सभा के साबिक मैम्बर, श्री ओम प्रकाश गर्ग, के 7 अप्रैल, 1989 ई० को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री ओम प्रकाश का जन्म अप्रैल, 1921 में जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा गांव में हुआ। वे एक किसान थे। दे शै के बंटवारे के समय श्री गर्ग ने शरणार्थी कैम्प में कार्य किया और उन्होंने लाडवा व उसके साथ लगते क्षेत्रों में शरणार्थियों को बसाने के लिए भी काम किया। 1966 में वे पं जाब विधान परिषद के मैम्बर चुने गए। 1967 व 1968 और 1972 में वे हरियाणा विधान सभा के मैम्बर चुने गए। वे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मैम्बर भी रहैं और उन्होंने कुरुक्षेत्र की प्राचीन गरिमा को पुनर्जीवित करने में गहरी रुचि ली उनके निधन से देश एक अनुभवी लैजिस लेटर और एक समर्पित कार्यकर्ता की सेवाओं

से वचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता

श्री गंगा सागर महंत, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

स्पीकर साहब, यह सदन हरियाणा विधान सभा के साबिक एम० एल० ए०, महंत गंगा सागर, के 29 अगस्त 1989 ई० को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। महन्त गंगा सागर का जन्म 25 जनवरी, 1934 ई० को जिला रोहतक के गांव छुड़ानी में हुआ। वे 1968 से 1972 तक हरियाणा विधान सभा के मैम्बर रहैं। वे हरियाणा विधान सभा की कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैंसिंज के मैम्बर रहैं। वे गद्दी, बाबा गरीब दास, गांव छुड़ानी जिला रोहतक के महन्त थे। उन्होंने कई स्कूलों का दर्जा०चा करवाया। टयूबवैलों को बिजली के कनैक्शन दिलवाए और बाढ़ संबंधी सड्कों का निर्माण करवाया। उनके निधन से देश एक समाज सेवी और एक अनुभवी लैजिसलेटर की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

पंडित राम चन्द्र, भूतपूर्व संसद सदस्य, हरियाणा, श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय, संसद सदस्य, श्रीमती चन्दा त्रिपाठी, संसद सदस्या और एस० एम० जोशी, प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी

स्पीकर साहब, यह सदन रोहतक के साबिक मैम्बर पार्लियामैंट पंडित राम चन्द्र, मैम्बर पार्लियामैंट, श्री आनन्द गोपाल, मुखोपाध्याय, मैम्बर पार्लियामैंट श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी और प्रमुख

स्वतन्त्रता सेनानी, श्री एस० एम० जोशी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री एस० एम० जोशी का मैं खास तौर पर विस्तार से जिक्र करना चाहूंगा। श्री एस० एम० जोशी का जन्म 12 नवम्बर 1904 को हुआ। वे बी० ए० एल० एल० बी थे लेकिन उन्होंने कभी भी वकालत नही की बल्कि उन्होंने अपनी तमाम जिन्दगी लोगों की खिदमत करने में गुंजार दी। 1928 ई० में साईमन कमीशन के हिन्दुस्तान आने पर उन्होने नौजवानों की तहरीक की रहनुमाई करते हुए अपनी सियासी जिन्दगी. शुरू की। उन्हैं 1930 ई० में नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने पर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उनका झुकाव सोशलिज्म की तरफ हो गया और 1932 ई० में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान वे अंडरग्राउंड रहैं। 1941 और 1942 केदौरान वे राष्ट्र सेवा दल के प्रमुख रहैं। 1952 से 1962 के दौरान वे बम्बई असैम्बली के मैम्बर रहैं और 1957 से 1970 के दौरान लोक सभा के मैंम्बर रहैं। महाराष्ट्र के लोग उन्हैं संयुक्त महाराष्ट्र मूवमैंट के जन्मदाता के तौर पर जानने हैं। वे देश के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी और ट्रेड यूनियन लीडर थे। वे हमेशा ही मजदूरो के अधिकारों के लिए लडे। यह सदन इन सब के शोक मे डूबे हुए परिवारो के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्र कट करता है।

करनाल बम विस्फोट कांड में मरे व्यक्ति

स्पीकर साहब, यह सदन 9 अगस्त 1989 कौं करनाल के निकट बस में हुए बम धमाके में मारे गए 14 व्यक्तियों के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह एक ऐसी हृदय विदारक दुर्घटना

थी, जिसने देश को हिला दिया। यह सदन इन सब दिवंगतो के शोक मैं डुबे हुए परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सवेदना प्रकट करता है।

उप मुख्य मन्त्री (डा० मगल सैन): स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस अवसर पर जिन दिवंगत महानुभावों की चर्चा इन्होंने की है उनके परिचय के रूप में कुछ बातें भी इन्होंने बताई है। सबसे पहले इन शोक प्रस्तावों में श्री हैंमवती नन्दन बहुगुणा जी का नाम आता है। वे गढ़वाल इलाके के रहने वाले थे और यही पर उनका राजनीतिक जीवन प्रारम्भ हुआ। वे उत्तर प्रदेश विध सभा के मैम्बर रहैं और उस प्रदेश के मुख्य मन्त्री भी रहैं। हंसके अलावा वे केन्द्र मे भी मन्त्री रहैं हैं। बाद में उनका काग्रेंस पार्टी से मतभेद हो गया औंर वे काग्रेंस पार्टी छोड़ कर विपक्ष में आये और विपक्षी पार्टी लोकदल मे शामिल हो गए। वे जीवनोपरान्त संघर्ष करते रहैं। उनके जीवन से हमे बडी प्रेरणा मिलती है। अध्यक्ष महोदय, प्रभु का यह अटल नियम है कि इस संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से वीर बहादुर सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री और केन्द्रीय मन्त्री रहैं हैं। ये भी इस संसार से चले गए हैं, हालांकि उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता ने श्री एस० के० डे० का भी जिकर इन शोक प्रस्तावों में किया है। उन्होंने पाकिस्तान से आए

हुए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सराहनीय कार्य किया। जब पार्टीशन के समय वैस्ट पाकिस्तान से पंजाबी भाई आये थे तो उन्होंने सबसे पहले कुरुक्षेत्र जिले में ही शरण ली थी और श्री एस० के० डे० ने इन लोगो की बहुत सेवा की और उनको बसाया। उन्होंने नीलोखेड़ी पुनर्वास प्रोजैक्ट आरम्भ किया। इस कस्बे को बसाये जाने का सारा श्रेय श्री डे० को ही जाता है। उन्होंने इस कस्बे में आम आदमी के रहने के लिए मजदूरों के लिए, किसानों और व्यवसाइयो को बसाने के लिए बडे ठीक ढंग से काम किया। ऐसा करके उन्होंने एक आदर्श नगर बसाया। वे भारत सेवक समाज के केन्द्रीय बोर्ड के भी सदस्य रहैं। यही रहते हुए उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और वे भारत समाज सेवक के सदस्य के माध्यम से ही केन्द्रीय मन्की बने। इसके अलावा उन्होंने और भी विभिन्न पदों पर कार्य किया।

अध्यक्ष महोदय, श्री धर्मवीर सिन्हा भी केन्द्र में उप मन्त्री के पद पर रहैं हैं। इसके अलावा वे बिहार विधान सभा के सदस्य तथा प्रदेश के मन्त्री भी रहैं। अध्यक्ष महोदय, जत्थेदार सोहन सिंह जलालुस्मान भी अब इस दुनिया में नही रहैं। वे हमारे साथ पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहैं हैं। उनकी चौधरी देवी लाल जी के साथ गहरी दोस्ती थी। जब मुख्य मन्त्री जी पीछे अमृतसर में अपनी आँख के आप्रेशन के लिए गए थे तब भी वे इनसे मिले थे जहां तक मुझे याद है स्वर्गवास होने से पहले भी वे इनसे मिलने के लिए यहां पर आये थे। उन्होंने गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन में गहरी रुचि ली। उनकी लोकतन्त्र के प्रति बड़ी विशाल सोच थी। मुझे समय समय पर उनके विचारों को

सुनने का मौका मिलता रहा। उनके गुजर जाने से मुझे गहरी ठेस पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय, इस सूची में हमारे भूतपूर्व विधायक श्री ओम प्रकाश गर्ग, का नाम भी शामिल किया गया है वे कुरूक्षेत्र के पास लाडवा गांव के रहने वाले थे। उनके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने ठीक फरमाया है कि उन्होंने जनता जनार्दन के लिए कार्य किया। अध्यक्ष महोदय, महन्त गंगा सागर जी का नाम भी इन शोक प्रस्तावों में आया है। वे जिला रोहतक, गांव छुड़ानी के रहने वाले थे। उनका नाम भी भक्त कबीर वाली गरीब दास शृंखला में आता है। इन्होंने भी जनता जनार्दन की काफी सेवा की। इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ पर मेरे मुसेरे भाई ने एक शोध की है, जिस पर उनका सरकार की तरफ से डीलिट की डिग्री भी मिली है। महन्त गंगा सागर हमारे साथ विधान सभा के मैम्बर रहैं हैं। उनके गुजर जाने से भी मुझे काफी ठेस पहुंची है। इसी प्रकार से रोहतक जिले के पंडित राम चन्द्र जी, जो मजदूर आन्दोलन से जुड़े हुए थे और राज्य सभा के मैम्बर थे, वे भगवान को प्यारे हो गये। श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय मैम्बर पार्लियामैंट और श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी, मैम्बर पार्लियामैंट भी अव हमारे बीच नहीं रहैं। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी ने ठीक ही उल्लेख किया है कि श्री एस० एम० जोशी सच्चे देशभक्त और स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी लोगों में माने जाते थे। ये ''समाजवादी आन्दोलन'' के प्रवर्तकों में से एक थे। जनता शासन में श्री मोरार जी भाई ने उन्हैं ठीक ही यू० के० का हाई कमिशनर बनाया था। वे बड़े विद्वान, विचारशील और प्रशासनिक मामलों

में अत्यन्त सिद्धहस्त थे, उनका भी निधन हो गया। स्पीकर सर, कई बार उग्रवाद की वारदातें हुई है। हमारे पड़ौसी राज्य में शासन केन्द्र के हाथ में खै जो उसे सम्भाल नहीं पा रहा। थोड़े से उग्रवादियों को अभी तक काबू मे नही लाया जा सका। करनाल मे बस बम धमाका हुआ जिसमें उग्रवाद के कारण कई लोगों की जानें गई। बस बम धमाके में मारे गये लोगों का नाम भी पहली बार सदन में आया है और उनको श्रद्धाजलि दी गई है। उपरोक्त महानुभावों के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, हाउस के नेता ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है, उसमें सबमे पहले श्री हैंमवती नन्दन बहुगुणा का नाम है। देश की राजनीति में उनका अपना ही स्थान था और गढ़वाल मे उनसे कांग्रेस बुरी तरह से डरती थी। उनकी कीशिशें होती थी कि यह आदमी चुना न जाए। उनको हराने के लिए कितनी ही कोशिशें की गई लेकिन बावजूद उसके वे चुनाव जीते। इससे पता लगता है कि उनका अपना कितना वकार था और लोगो के मन में उनके प्रति कितनी इज्जत थी। इसके बाद वे लोकदल मे और आपोजीशन में देश की राजनीति को स्वच्छ बनाने की लड़ाई लड़ते रहैं। अब वे हमारे बीच में नही रहैं। मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हू। श्री वीर बहादुर सिंह जी यू. पी. की राजनीति में उभरे और देश की राजनीति में उन्होंने बडा काम किया। श्री एस. के. डे, जब जिला करनाल मैं नीलोंखेड़ी बसा रहैं थे तो मैं उस समय अक्सर उनके पास

जाता था। वे औनरेरी तौर पर काम करते थे और कोई तनख्वाह वगैरा नही लेते थे। उन्होंने कोशिश की कि किसानों और अपने हाथ सै काम करने वाले लोगों की एक को–आपरेटिव बने, लोग मिलकर काश्त करें और मिलजुल कर काम करना सीखें। मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जो बी. एस. सी. ऐग्रीकल्चर थे, वे लोगो को इकटठा करके खुद हूल चलाया करते थे और किसानों को बताते थे कि कैसे काम करना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि हमारे देश के किसान की हालत अच्छी हो। इसके साथ ही हमारे देश मैं पंचायत राज की जो पद्धति है, वे इसके बनाने वाले थे इसके जन्मदाता थे। अब वे हमारे बीच नही रहैं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग मेरे बिल्कुल नजदीक लाडवा से एम० एल० ए० थे। उनके जाने से एक अच्छा समाज सेवक नही रहा।

श्री एस० एम० जोशी का नाम सारे देश मे जाना जाता है। वे किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं थे उनका नाम मजदूर लीडर के तौर पर जाना जाता था। हिन्दुस्तान मे ट्रेड यूनियन मूवमैंट मे उनका बहुत ही सहयोग था। इनके साथ सरजू पाण्डे 1942 के ''भारत छोड़ो आन्दोलन'' के हीरो थे। 25 अगस्त को उनका भी निधन हो गया स्पीकर सर, 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान बलिया में उन्होंने पैरेलल गवर्नमैंट बना दी थी और 14 दिन तक वहां अंग्रेज के राज को खत्म करके रख दिया था। बाद में उन्हैं गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई। देश की जनता ने उन्हैं मौत की सजा नही होने दी और वे 25 साल तक मैम्बर पार्लियामैंट रहैं। देश के अन्दर मजदूर और किसान की जिन्दगी को बेहतर और बढ़िया बनाने के

लिये वे हिन्दुस्तान में संघर्ष करते रहैं। उन को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हू।

इसके साथ ही करनाल बस काण्ड के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि करनाल बस बम धमाके में मारे गये लोगों के नामों को भी शोक प्रस्ताव में शामिल किया गया है। स्पीकर साहब, पंजाब के उग्रवाद का प्रभाव हमारे यहां भी पड़ता है और हर तीसरे–चौथे महीने कोई–न–कोई वारदात यहां हरियाणा में भी हो जाती है। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि पंजाब में टैरोरिस्टसं या खालिस्तानी मारे नहीं जाते, बहुत बड़ी गिनती में टैरोरिस्टस मर रहैं हैं और डिमौरलाइजड भी हैं लेकिन सैट्रल गवर्नमैंट की गलत नीति के कारण पुलिस के जरिये बाहुबल के जरिये फौज की ताकत के जरिये इन्हैं काबू में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि हिन्दोस्तान के आने वाले इलैक्शन में अपने हितों के लिये वे इस बात को इस्तेमाल कर सकें। यह बड़े दुख की बात है कि हजारों बेगुनाह मर चुके हैं तथा और भी मर रहैं हैं। आज जरूरत इस बात की है कि सारी पार्टीज सारे देशवासी और सैन्ट्रल गवर्नमैंट एकता से इक्ट्ठे हो कर उनके खिलाफ लामबन्दी करें ताकि इस समस्या से हमारा पड़ौसी राज्य भी बचे और हम भी बचें। अन्त में मैं उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हू जिनके सदस्यों की करनाल बम काण्ड में हत्या हुई है और सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि देता हं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने सदन के सम्मुख छः महीनें के अर्से के दौरान

जो लोग गुजर गये है उन बिछुड़े हुए साथियों की एक बड़ी लम्बी सूची रखी है। इनके चले जाने का दुख होना स्वाभाविक है लेकिन यह विधि का विधान है कि जो आया है वह जायेगा। इस प्रक्रिया के मुताबिक हमारे अनेक साथी और महानुभाव जो हम से बिछुड़ गये हैं, उनके लिए मैं अपनी भावनाओं को मुख्य मन्त्री महोदय के साथ जोड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय सब से ज्यादा उन्होंने बहुगुणा जी का जिक्र किया है। बहुगुणा जी के मुताल्लिक आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि उनका बड़ी छोटी सी उम्र से सारा जीवन ही स्वतंतता संग्राम में गुजरा। वे बड़ी छोटो उम्र में स्वतंतता संग्राम में कूद पड़े थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के बड़े योद्धाओं में से थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति के पटल पर उनका बडा वर्चस्व था। चाडे वे किसी भी पार्टी में या कहीं भी रहैं लेकिन हमेशा उनका वर्चस्व बना रहा। जैसा कि हमारे बुजुर्ग साथी ने बतलाया वे एक स्वच्छ छवि वाले नेता थे और सिद्धान्त के लिए हमेशा अड़े रहते थे और चाहैं वे काग्रेंस पार्टी में रहैं या विपक्ष में रहैं। इस का सबूत इस बात से मिलता है कि उन्होंने लोकदल को जिन्दा रखा। क्योंकि जनता दल के साथ उनकी सैद्धान्तिक एकता नही रही इसलिए वे अलग रहैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे महानुभाव के चले जाने से एक सब से पुराना सांसद, आर्दशवादी और स्वत तता सेनानी हमसे बिछुड़ गया है जिसके लिए हमें महान दु:ख है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। शोक प्रस्ताव में दूसरे नम्बर पर श्री बीर बहादुर सिंह जी का नाम है। उनका भी बड़ा लम्बा राजनैतिक जीवन रहा है। वे उत्तर प्रदेश के बड़े चर्चित व्यक्ति रहैं हैं।

श्री एस० के० डे० दक्षिण में पैदा हुए। वे भी अपने समय में बड़े चर्चित व्यक्ति रहैं है। जब तक पंचायती सिस्टम जिन्दा रहैंगा उनका नाम रहैंगा। उसकी बुनियाद बडी गहरी हैं। आदि समय में जब से मानव के दिमाग का विकास हुआ है और मानव ने गांव में रहना शुरु किया है तब से ही पंचायती भावना हमारे देश में कायम रही है और हमेशा कायम रहैंगी। श्री एस० के० डे० ने पंचायत संस्था के लिए अपने समय में जितना काम किया है वह हमेशा याद किया जाता रहेगा।

इसके अलावा श्री धर्मवीर सिन्हा, हरियाणा के कई हमारे संसद सदस्य तथा दूसरे सांसद भी हमारे बीच से चले गये हैं। इन लोगों ने भी अपने राजनैतिक जीवन में समाज के विभिन्न क्षेत्रो में वर्षों तक सेवा की है। उनकी कमी पूरी होनी भी बड़ी मुश्किल है। उनके परिवारों के प्रति भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आखिर मे, नौ अगस्त को जो घटना घटी है उसका भी जिक्र करना जरूरी है। इस घटना के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई हैं उन्हैं भी श्रद्धाजंलि अर्पित करना हमारा कर्त्तव्य हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, हाउस में मेरे साथी ने इस सम्बन्ध में कूछ ऐसा जिक्र कर दिया जो किया नहीं जाना चाहिए था। हमें गलत परम्परा नही डालनी चाहिए। एम० एल० एज० को एक दूसरे पर दौषारोपण नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में राजनैतिक स्वार्थ की भावना से अलग हो कर हमें देशभक्ति की भावना से सोचना चाहिए। अगर दोषरोपण करने लगें तो यह होता हो रहैंगा। इन शब्दों के साथ मैं जो और नेता और महानुभाव हमसे बिछुड गले हैं उनके बारे में भी

अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धाजंलि अर्पित करते हुए परम परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उनके परिवारों को इस हादसे को झेलने की शक्ति प्रदान करे।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, तकरीबन छ. महीने बाद इस दफा भी इस औगस्ट हाऊस के सामने औबिचुअरी रैफरैन्सिज की एक्ट बड़ी लम्बी लिस्ट लीडर आफ दि हाउस ने रखी है। बड़े–बड़े महापुरुष जिन्होंने देश के लिए किसी न किसी रीजन में मानव जाति के लिए काम किया है, वे आज हमारे बीच से चले गये हैं। इनमें से कुछ ऐसे है जिनके साथ, बहुत ज्यादा तो नहीं' लेकिन थोड़ा सम्बन्ध मेरा भी रहा है। बहुगुणा जी उनमें से एक हैं बहुगुणा जी बहुत काम करने वाले, बडे मेहनती और निष्ठावान पार्लियामैंटेरियन थे। उनके चले जानै से देश की गरीब जनता की अगुवाई करने वालों में कमी आयी है।

इसी तरह से बहुत थोड़े संमय के लिये, जब मैं कालेज में पड़ता था तब मुझे डे साहब से मिलने का मौका मिला था। वे आम तौर पर नीलोखेड़ी आया करते थे। हम करनाल से जाया करते थे। डे साहब अपने काम मे बड़े मेहनती थे। उनके अन्दर गांव सुधार की बात कूट–कूट कर भरी हुई थी। उस वक्त ऐसे इन्सान बहुत कम दिखते थे।

इसी तरह से ओम प्रकाश गर्ग के साथ बहुत लम्बा सम्बंध मेरा रहा है। तकरीबन 20 साल मैंने उनके साथ काटे हैं। वे इलाके के बहुत बढ़िया वर्कर थे। इलाके के लिये उन्होंने काम भी बहुत किये। लाडवे की डिवैल्पमैंट का जब हम नाम ले तो उसके साथ गर्ग जी का

नाम जुड़ जाता है। उन्होंने कालेज बनवाये, स्कूल बनवाये और डिवैल्पमैंट के काफी दूसरे काम किये।

इसी तरह से एक और बड़े दुख की बात है कि करनाल के निकट बस में बम बलास्ट हुआ जिसकी चर्चा मुख्य मंत्री जी ने और डाक्टर साहब ने की। कई ऐसे लोग जो बेचारे 'अपने घर को जा रहें थे, वे मारे गये। उनका गुनाह यह है कि उनका कोई गुनाह नहीं है। बस में बम बलास्ट होने से वे मारे गये। यह बड़े ही दुःख की बात है। मैं ज्यदा न कहते हुए. अपनी ओर से सभी दिंवंगत महापुरुषों को श्रद्धाजंलि देता हूं और अर्ज करता हूं कि हाउस की ओर से उनके परिवारों को डीप सिम्पथीज भेज दी जायेगी।

श्री तैयब हुसैनः इसमें सरजू पांडे का नाम भी जोड़ दिया जाये।

श्री रघु यादवः इसमें भिवानी की हूच ट्रैजेडी में मारे गये लोगों का नाम भी जोड़ा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्षः मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि शोक प्रस्ताव में जिक्र की गई महान् आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया जाए।

(इस समय दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, अब सवाल होंगे।

Electricity Connections

***951 Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the yearwise number of Electricity Connections released for Agriculture, Commercial and Domestic purposes in the State during the years 1987-88, 1988-89 and 1989-90 (to-date);

(b) the number of applications, if any, pending for electricity connections for the purpose as referred to above as on 31-7-89; and

(c) whether there is any scheme under consideration of the Government to launch a crash programme to release tubewell connections in the State during the year 1989-90 ; if so, the details thereof ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) (a) (b) & (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The number of connections released, yearwise, is as follows —

year	No. of connections released		
	Domestic	Commercial	Agriculture

1987-88	128869	14121	26562
1988-89	132071	14203	6508
I989-90 (7/89)	47201	4377	4131 (8/89)

(b) the number of applications pending as on 31-7-89 were as follows :—

Domestic	Commercial	Agriculture
74874	7762	59434

(c) Against the annual target of 8200 new tubewell connections for the year 1989-90, a crash programme was launched in May to release about 15000 conneetions during the year. Salient features of the programme are : —

(i) For test reports received upto 31-12-88 the seniority of H.T. and LT. connections is to be maintained separately. Earlier, the seniority was being maintained combined causing delays in releasing L.T. connections.

(ii) Demand Notices to all the applicants for tubewell connections whose applications were received 'up to 31-3-88 are to be issued in order to clear the backlog.

(iii) Material for releasing these connections is to be procured on priority to accelerate rate of release of connections.

(iv) Each H.T. connection is to be examined critically for identifying actual H.T. and consequential L.T. connections which in turn can be released simultaneously with the H.T. connections.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया है कि ऐग्रीकल्चर सैक्टर में 1988–89 में इनका टारगेट तो 8200 कनैक्शंज देने का था लेकिन ये केवल 6508 ही दे गये हैं। इसके अलावा, इन्होने यह भी कहा है कि मई से 15,000 कनैक्शन देने के लिये एक क्रेश प्रोग्राम चलाया हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह टारगैट कम क्यों रहा, इसको कब तक अचीव करने की सोच रहैं हैं और आगे से ऐसी डील ही चलती रही तो यह कैसे टार्गेट अचीव कर पायेंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 1988–89 में बिजली बोर्ड की तरफ से ऐग्रीकल्चर कनैक्शन 6508 दिये गये। ये वे कनैक्शन्ज हैं जिनको हाई टैंशन (एच० टी०) कनैक्शन बोला जाता है। ये कनैक्शन्ज पिछले 7– 7, 8–8 और 9– 9 सारन से पैंडिंग थे। स्पीकर साहब दो तरह के कैनैक्शंज होते हैं एक एल० टी० और दूसरा एच० टी। अगर ट्यूबवैल को एल० टी० से कनैक्शन दिया जाता है तो अठारह हजार रुपया खर्च आता है और एच० टी० से कनैक्शन दिया जाता. है तो पचास हजार रुपया खर्च आता है। इसके लिए 11 के० वी० की लाइन खीचनी पड़ती है और ट्रांसफारमर रखना पड़ता है। पिछले एच० टी० का जो बैकलौग था उसको साफ कैरने की कोशिश की गई। उस पर खर्च अधिक करना पड़ा क्योंकि लाइन खीचनी पड़ी इसलिए पिछले साल 6508 कनैक्शंज दे पाए। इस साल बोर्ड ने ट्यूबबैल्ज को कनैक्शन देने का एक क्रैश प्रोग्राम बनाया है और उसके तहत इस साल पन्द्रह हजार

कनैक्शंज देंगे। 4131 कनैक्शंज दे चुके हैं 'और बाकी 31 मार्च तक दे देंगे।

श्री हीरा नन्द आर्यः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 6508 कनैक्शंज देने का जो टारगैट अचीव किया है उसमें 4131 की फिगर शामिल है या अलग है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 4131 की जो फिगर है वह करन्ट ईयर की है और 6508 की फिगर पिछले साल की है।

कामरेड हरपाल सिंहः मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसान से बिजली बोर्ड सात हजार या पांच हजार रुपया भरवा कर प्रायरिटी पर कनैक्शन देता हैं?

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जिस प्रकार से टैलीफोन डिपार्टमैंट कंजयूमर से कुछ पैसा लेकर प्रायरिटी पर टेलीफोन देता है इसी तरह की प्रथा बिजली बोर्ड में भी है। कुछ पैसा लेकर बिजली बोर्ड कंज्यूमर को प्रायरिटी पर बिजली का कनैक्शन देता है।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, पहले कमर्शियल, डोमेस्टिक और ऐग्रीकल्चर तीनों प्रकार के कनैक्शन कमजोर और दलित वर्ग के लोगों को प्रायरिटी बेसिज पर दिए जाते थे। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अब भीं वह प्रथा जारी है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, कुछ दिन पहले बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि शडयूल्ड कास्टस के लोगों की जितनी भी

ऐप्लीकेशंज पैंडिंग है उन सभी को कनैक्शंज दे दिए जाएं। उसमें काफी प्रगति हुई है परन्तु मैं अभी यह नहीं कह सकता कि सभी को कनैक्शंज दे दिए है या नहीं दिए हैं।

श्री कैलाश चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि पन्द्रह हजार कनैक्शंज देने का इस साल प्रोग्राम है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कनैक्शंज देने के लिए कोई जिलेवार संख्या तय की गई है और बैकवर्ड जिले को कनैक्शन देने की कोई विशेष व्यवस्था की गई हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सीरियलवाइज कनैक्शन दिए जाते हैं। कम्पलीट लिस्ट बनी हुई है। हम लिस्ट से इधर–उधर नही जा सकते।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, किसी जमींदार ने अपने ट्यूबवैल से नाजायज कनैक्शन अपने आप जोन रखा है। हस बात की कोई आदमी आधिकारियों से शिकायत कर देता है। शिकायत होने पर महकमा उसको जुर्माना कर देता है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि महकमे द्वारा जुर्माना करने के बाद कनैक्शन को रैगुलर कर दिया जाता है या उसका कनैक्शन काट दिया जाता है?

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जो आदमी चोरी करता है उसका कनैक्शन रैगुलर करने का तो सवाल ही नही है।

डा० बृज मोहन: मन्त्री महोदय ने बताया है कि 1988–89 में कृषि सम्बन्धी 6508 कनैक्शन दिए गए और बैकलौग को पूरा करने की

कोशिश की गई। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बैकलौग पूरा हो गया है या कुछ कनैक्शन देने अभी बाकी है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, तीन हजार के करीब कनैक्शन देने बाकी हैं। अब हमारे पास जो ऐप्लीकेशंज बाकी हैं वे केवल तीन साल पुरानी हैं। जो सात आठ साल का बैंकलौग था वह पूरा हो गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः मन्त्री महोदय ने जवाब मे बताया है कि दिनांक 31– 12–88 तक प्राप्त हुई टैस्ट रिर्पोटों के लिए एच० टी० और एल० टी० कनैक्शनों की वरिष्ठता अलग से रखी जानी है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐप्लीकेशंज बाकी हैं और कब तक कनैक्शन पूरे दे दिए जाएंगे?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल किया था उसके जवाब में हमने कम्पलीट नम्बर औफ पैडिंग ऐप्लीकेशंज लिखी हैं। ऐग्रीकल्चर सैक्टर में जो ऐप्लीकेशंज पैंडिंग हैं वे 59434 हैं।

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि कनैक्शन देने में शड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रायरिटी दी जाती है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हू। लेकिन कुछ ऐसे मामले नोटिस में आए हैं कि जो बड़े–बड़े लैड लौर्डज हैं कुछ हरिजनों को 99 साल के लिए जमीन की सब–लैटिंग (लीज) कर देते हैं और जब प्रायरिटी पर ट्यूबवैल का कनैक्शन मिल जाता है तो उससे जमीन

वापिस ले लेते है और इस तरह से वे लोग गल्त फायदा उठा लेते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उनके ध्यान में कोई इस तरह का केस आया है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आनरेबल मैम्बर यदि ऐसी कोई स्पैसीफिक शिकायत हमारे नोटिस में लाएंगे तो उसको लीगली ऐग्जामिन किया जाएगा और बोर्ड क्या कार्यवाही कर सकता है या कोई शिकायत पुलिस को फारवर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता युध ये सारी बातें ऐग्जामिन कर लेंगे।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि उपभोक्ताओं को बिजली के कनैक्शंज देते समय डोरी, खम्बा व मीटर इत्यादि जो भी सामान चाहिये होता है, वह बिजली बोर्ड अपने पास से देता है या कि उपभोक्ताओं को देना पड़ता है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मौजूदा सरकार आने के बाद हमने यह अजहद कोशिश की है कि बिजली बोर्ड ही यह सारा सामान देगा। इस से पहले यह सारा सामान उपभोक्ताओं द्वारा ही दिया जाता रहा है।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि सरकार के पास ऐग्रीकल्चर सैक्टर की 31–7–89 तक 59434 ऐप्ली– केशंनज बकाया हैं और कैश प्रोग्राम के तहत 15,000 कनैक्शनज जारी करने का सरकार ने अभियान चलाया

था। अब सरकार ने यह तय किया है कि जो पांच या सात हजार रुपया भर देंगे उनको प्रायरिटी दी जाएगी। इस से तो गरीब किसानों को सालों साल कनैक्शन नहीं मिल पाएंगे। जिन लोगों के पास पैसा होगा वे ही फर्स्ट प्रायर्रिटी लेकर कनैक्शन ले जाएंगे। मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या गरीब किसानों के लिये यही रुपये वाली प्रायरिटी रहैंगी या कि उनके लिये कोई और क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा ताकि उनको भी जल्दी कनैक्शनज मिल सकें?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, आनरेबल मैम्बर साहैंबान को मौजूदा सरकार का धन्यवाद करना चाहिये क्योंकि हमने आने के बाद सात–सात, आठ–आठ सालों से चला आ रहा बैकलौग पूरा किया है और अब ऐसी स्टेज पर पहुंच गये हैं कि केवल पिछले तीन सालों की ऐप्लीकेशनज हमारे पास पैंडिंग रह गई हैं। अगर चौधरी साहब का मिशन कामयाब रहा तो दो सालों के अन्दर–अन्दर यह सारा अड़ंगा ही साफ कर देंगे

चौधरी श्री कृष्ण हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब कोई किसान डिफाल्टर हो जाता है तो उसका कनैक्शन कट जाता है। वहां से डोरी, मीटर व दूसरा सामान भी उतार लिया जाता है और जब वह दोबारा कनैक्शन लेने के लिए ऐप्लाई करता है तो उससे दोबारा सारे सामान का खर्चा व मजदूरी ली जाती है, हालांकि वह सारा सामान वगैरह वहीं पर ही होता है जिसकी मजदूरी वगैरह उसने पहले हीं दी होती है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कोई सरकार के पास ऐसा प्रोवीजन है कि

जब दोबारा कनैक्शन दिया जाए तो उस किसान से दोबारा मजदूरी वगैरह न चार्ज की जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसके अनुसार चार्जिज लिये जाते हैं। जो रूल्ज में प्रोवाइडिड है उसी के अनुसार चार्जिज लिये जाते हैं और बाकायदा उसकी रसीद दी जाती है।

श्री जगन नाथः अध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले सरकार की यह नीति थी कि हरिजन मुहल्लों में सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट दी जाएगी लेकिन अभी तक कई जगहों पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि कब तरु सभी हरिजन मुहल्लों में स्ट्रीट लाईट देने का सरकार प्रबन्ध करेगी और यह काम कब तक मुकम्मल कर दिया जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, अभी तो हम स्ट्रीट लाईट दे ही रहैं है। कब यह काम सभी मुहल्लों में मुकम्मल हो जाएगा अभी यी बताना सम्भव नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति के अनुसार अगर कोई किसान पांच या सात हजार रुपये भर देता है तो उसको प्रायरिटी बेसिज पर बिजली का कनैक्शन पहले दे दिया जाता है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आज ही यह पैसा भर देता है तो क्या उसको उसी हिसाब से प्रायरिटी मिल जाएगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति प्रायरिटी लेने के लिए समय पर पैसा जमा करवा देता है तो उस समय उसका जो नम्बर प्रायरिटी के हिसाब से आएगा उसी के हिसाब से उसकी प्रायरिटी फिक्स हो जाएगी।

चौधरी सतवीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि जो पांच या सात हजार रुपया किसानों से कनैक्शनज के लिए लिया जाता है वह पैसा आगे चलकर बिजली के बिलों में ऐडजस्ट हो जाएगा या कि वह पैसा सिक्योरिटी ही बना रहैंगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, जैसे टेलीफोन विभाग प्रायरिटी पर टेलीफोन कनैक्शन्ज देता है उसी प्रकार हम भी ट्यूबवैल कनैक्शन देते है और कंज्यूमर्ज का पैसा उन्हीं के नाम जमा रहता है '

श्री हरनाम सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो कनैक्शन्ज दिये गये वे पहले से बढ़ाकर दिये गये हैं जिसके लिये मैं सरकार का धन्यवाद करता है लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि– जहां तक वोल्टेज का सवाल है वोल्टेज बिल्कुल लो है जिसकी वजह से किसानों के टयूबवैल्ज प्रौपर नहीं चलते ओर उनका नुकसान भी होता है। क्या सरकार इस समस्या को दूर करने का कोई प्रावधान करने जा रही है ताकि किसानों को लो वोल्टेज के कारण दिक्कतों का सामना न करना पड़े?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, डा० हरनाम सिंह ने बहुत ही सुन्दर सवाल पूछा है। मौजूदा सरकार बनने के पश्चात बिजली. की जनरेशन और अवे लेबिलिटी में इस सरकार ने जितनी जबरदस्त अचीवमेंट हासिल की है मेरे ख्याल में उतनी सारे भारतवर्ष में पिछले 42 सालों में किसी भी प्रदेश की सरकार ने नही की। कल जो हमारे बिजली बोर्ड के दफतर में बिजली की अवेलेबिलिटी दिखाई गई वह 280 लाख यूनिट थी। जब यी सरकार बनी उस समय 137 और 140 लाख यूनिट से फालतू नहीं थी। स्पीकर? साहब इस बार जब पैडी का सोइंग सीजन चल रहा था, मैं बड़े दुःख से कह रहा है कि उस समय हमारे पास बिजली तो अवेलेबल थी परन्तु हम बिजली किसानों को उपलब्ध नहीं कर पा रहैं थे। उसका कारण यह था कि लोड बहुत बढ़ गया और सिस्टम काफी डिफैक्टिव है उसको जब तन्त्र इम्प्रूव न किया जाए और बढ़े हुए लोड के हिसाब से ठीक न किया जाए तो वोल्टेज की प्रौबल्म होती है, ट्रिपलिंग की प्रौबल्म होती है और बिजली होते हुए भी किसान भूखा रहता है। इस सारे मामले पर मैंने पिछले महीने की 16 तारीख को अपने बोर्ड के हाइएस्ट औफिसर्ज इनक्लूडिंग एस० ईज० की मीटिंग बुलाई। हमने उसमें तय किया कि किस प्रकार से सीमित साधन होते हुए हम इस ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं और कम से कम पैडी का जो अगला सीजन आएगा उसमे विशेष तौर पर करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला के जो तीन जिले हैं, जहां हाइएस्ट पैडी ग्रोइंग एरिया है उनको बिजली दे सकते हैं। बिजली होते हुए भी हम बिजली उपलब्ध न करा पाएं यह बात ठीक नहीं। इस के बारे में हमने सोचा है और कुछ स्कीम्ज बनाई हैं। परन्तु सारे हरियाणा प्रान्त में ट्रांसमिशन

सिस्टम को एकदम इम्प्रूव करने के लिए मेरा अन्दाजा है कि शायद हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें टाईअ कितना लगेगा यह भीं एक बहुत बडा फैक्टर है। कम से कम 5— 7 साल का टाईम लगेगा सकता है। इसके बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। इस प्रौबल्म के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि we are seized of the matter. जितने सीमित साधन हमारे पास हैं उसके हिसाब से बिजली बोर्ड और सरकार की हतुलवस्सा कोशिश होगी कि इस सिस्टम को सुधारा जाए ताकि वोल्टेज की प्रौबल्म न हो।

Supply of Spurious Chelated Zinc etc.

***968. Shri Yogesh Chand Sharma and Shri Hira Nand Arya :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether any complarnt regarding supply of spurious chelated Zinc Fertilizer and insecticides Pesticides to the Farmers in the State has been received during the years 1988 and 1989 ; if so, the action if any, taken thereon ?

Agriculture Minister (Shri Ranjit Singh) : No complaint has been received pertaining to this period .

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे लायक मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि उनको 15 अप्रैल 1989 को मेरी तरफ से कोई इस विषय में कम्पलेंट मिली थी और कुरुक्षेत्र के ए० डी० सी० की इन्क्वायरी अखबारों में पब्लिश इई थी? क्या ये मेरी कम्पलेंट को शिकायत नहीं मानते हैं, अगर मानते हैं तो उस पर क्या कार्यवाही की और क्या शिकायत थी ओं

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, आर्य साहब ने जो मुझे लै–टर' लिखने के बारे में कहा है, इस बारे में इनका पिछले सैशन में क्वैश्चन आ गया था। चिलेटिड जिंक हरियाणा में न कभी खरीदी गई है और न कभी बिकी है। इसलिये इनका शह सवाल तो गलत है। लेकिन कम्पलेंट के बाद कितनी जगह रेड हुए इसके बारे में अर्ज है कि अक्तूबर 1986 में पहली बार फर्टिलाइजर कन्ट्रोल ऐक्ट लागू हुआ जिसके तहत हम जिन दवाइयों का रेड कर सकते थे उनके बारें में बाजार में छापे मारे गये हैं। इसके अलावा इस बारे में मैं हाउस को यह भी बता दूं कि 1979 में 385 सैम्पल लिए गए थे जिनमें से 31 जिस ब्राडिडैं पाए गए थे, 8 के लाईसैंस कैंसिल किए गए थे और 56 केसिज में प्रौसिक्यूशन लौच किया गया। ये केसिज चिलेटिड जिंक के नहीं हैं। चिलेटिड जिंक तो मार्किट में आई ही नही। ये केसिज जो हमने और रेखज किए थे उनके हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, 7– 4– 1988 को मैंने विधान सभा में क्वैश्चन नम्बर 327 दिया था और उसके जवाब में उस वक्त जो कृषि मन्त्री थे क्न्होंने विधान सभा में यह स्वीकार किया था कि जो चिलेडिट जिंक खरीदी गई उसका जीरो परसैंट रिजल्ट है। उस समय मुख्य मन्त्री जी ने यह भी आश्वासन दिया था कि इस मामले में जिसने भी गड़बड़ की है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं यह जानना चाहता है कि क्या हकीकत में उन सब के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने इसमें गडबड की है? माननीय कृषि मन्त्री जी कहते हैं

कि चिलेटिड जिंक मार्किट में ही नहीं आई। डिप्टी डायरैक्टर ऐग्रीकल्चर हिसार ने उसके सैम्पल लिए थे।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब आप तो इतने सवाल कर गए कि बिल्कुल ही गोरख धंधा बना दिया। You can put in supplementaries one by one and you will get opportunity. Please don't put five or six supplementaries at a time.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, 1984 में चिलेटिड जिंक के सैम्पल लिए गए थे और उस वक्त 37 सैम्पल में से 34 सैम्पल फेल हुए थे। क्या मन्त्री जी बताएंगे कि 'यह बात सही है या नहीं?

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, जो आर्य साहब बता रहें हैं कि 1984 में सैम्पल लिए गए थे यह बात सही नहीं है। उस वक्त कोई सैम्पल नहीं लिए गए। अक्तूबर, 1986 में सैम्पल लिए गए थे। उस समय फर्टिलाइजर कंट्रोल ऐक्ट पास हुआ था। जुलाई, 1987 में यह सरकार बनी थी और हमने आते ही रेड किए थे। उस समय 6 सैम्पल लिए गए थे जिनमें से 3 करनाल, 2 कुरुक्षेत्र और एक अम्बाला से लिया गया था। उन केसिज के बारे में प्रोसीक्यूशन लौच किए गए और वे केसिज अदालत में भेज दिए हैं।

Mr. Speaker : Next question.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। (शोर)

Mr. Speaker : Reply to this question has come. Please

take your seat. I have now called the next question.

Vigilance Enquiry in Forest Plantation Works

***969. @Pandit Vasudev Sharma and Shri Hira Nand Arya :** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any enquiry has been conducted by the State Vigilance Bureau regarding plantation works executed by the Forests Department in the State during the years 1982-83 to 1985-86 ; and

(b) if so, the result thereof togetherwith the action if any, taken or proposed to be taken on the enquiry reports ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) :

(a) Yes.

(b) 21 enquiries (i .e. 13 **of** the Territorial Forest Divisions and 8 of Social Forestry Division) were conducted by the State Vigilance Bureau. The result of the enquiries is given in the attached statement. Further action is being taken by the Forest Department.

Statement showing details of 21 forest enquiries conducted by State Vigilance Bureau, Haryana regarding plantation work executed by Forest Department during the year 1982-83 to 1985-86

Sr. No.	No. & Date of enquiry.	Forest Division involved.	No. of beats in which plan- tation is above 70%	No. of beats in which plan- tation is less than 70%	Number .of Officers/ Officials involved.		Date on which result sent to A.D.
					Of- cers.	Offr- cials.	
1	2	3	4	5	6		7
I.	7-88/Ambala	Territorial Division	5	5	1	13	14-8-89
		Morni (Ambala)					
2.	8-88/Ambala	Territorial Forest	8	Nil	1	3	25-8-89
		Division. Ambala.					

3,	6-88/Kurukshetra	—do—, Kurukshetra	5	3	2	11	11-8-88
4.	18-88/Karnal	—do—, Karnal	Nil	8	4	16	23-8-89
5.	5-88/Sonipat	—do—, Sonipat	4	3	1	14	14-8-89
6.	10-88/Rohtak	—do—, Rohtak	4	4	2	16	21-8-89
7.	9-88/Gurgaon	—do--, Gurgaon	3	5	2	17	14-8-89
8.	7-88/Faridabad	—do—, Faridabad	2 (work was not executed in 2 beats)	4	2	13	11-8-89
9.	9-88/Narnaul	—do—, Narnaul	2	6	3	28	11-8-89
10.	10-88/Hissar	—do--, Hisar	3	2	1	8	414-8-89
11.	10-88/Bhiwani	—do—, Bhiwani	1	9	2	22	23-8-89
12.	6-88/Sirsa	—do—, Sirsa	8	Nil	1	3	1-8-89
13.	7-88/Jind	Territorial Forest Division, Jind.	4	3	I	15	11-8-89

14.	7-88/Kurukshetra	Social Forestry	Nil	5	4	11	14-8-89
		Division, Kurukshetra					
15 .	19-88/Karnal	—do—, Panipat	I	I	2	17	11-8-89
16.	11-88/Rohtak	—do—, Rohtak	7	3	2	13	12-8-89
17 .	10-88/Gurgaen	—do-- , Gurgaon	6	.6	1	22	11-8-89
18.	10-88/Narnaul	—do—, Narnaul	I	5	I	15	14-8-89
19.	11-88/Hisar	-do- Hisar	6	2	Nil	Nil	23-8-89
			(Plantation not successful due flood.)	to			
20.	11-88/Bhiwani	—do—, Bhiwani	2	2	2	10	23-8-89
			(Plantation was successful	found area in area			

			but which plantation was less.				
21.	9-88Ambala	-do--, Ambala	6	Nil	Nil	Nil	11-8-89

Note -Recommendation in brief, sent to Administative Department.

(a) Officers in whose beats the successful plantation was over 70 % be given appreciation letter.

(b) The officers in whose beats plantation was successful between 50 % to 69% may be administered a written warning

(c) The officers and staff where successful plantation was between 26% to 49% may be called upon

to explain for the loss to the exchequer suffered and a token penalty imposed.

(d) Where success of the plantation was less than 25% a regular departmental enquiry be ordered and such officers be given major punishment.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता है कि इस बारे में सारी कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जाएगी और क्या इस विषय मे किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकद्दमा दर्ज करवाया गया, या मुकद्दमा दर्ज करवाया जाना बाकी है '

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, इस विषय में कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया। विजिलैस डिपार्टमैंट ने इस विषय में अपनी इन्कवायरी करके रिपोर्ट ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट को भेज दी है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट इस विषय में आगे की कार्यवाही कर रहा है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में कार्यवाही पूरी होना कब तक सम्भावित हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य आर्य साहब ने अपना सवाल विजिलैस डिपार्टमैंट से सम्बन्धित पूछा था। उस बारे में मैंने इनको बता दिया है कि विजिलैसं डिपार्टमैंट ने इस विषय में अपनी कार्यवाही करके रिपोर्ट ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट को भेज दी है और आगे की कार्यवाही ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट करेगा।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय में विजिलैस

डिपार्टमैंट ने जहां कहीं भी कोई कमी पाई है उस कमी की कोई असैसमैंट की है कि इसमें कितना पैसा इंन्वौल्वड था?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, टोटल बीट्स 1250 थे जिनमें से विजिलैस डिपार्टमैंट ने 156 बीटस की इन्कवायरी की थी। इन 156 बीटस में से 80 वीट्स ऐसे मिले जिनमें 70 परसैटं से ज्यादा प्लांटस की सरवाइवल थी और 76 बीट्स ऐसे मिले जिनमें 70 परसैन्ट से कम सरवाइवल थी। जिन बीटस में 70 परसैन्ट से ज्यादा सरवाइवल पाई गई उनको तो सैटिसफैक्टरी पाया गया और जिनमें 70 परसैन्ट से कम सरवाइवल थी उनके खिलाफ विजिलैस डिपार्टमैंट ने ऐक्शन रिक्यैन्ड किया है।

Upgradation of Schools for Girls in the State

***943 Shri Durga Dutt Attri :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Government Schools for Girls upgraded from Middle to High and High to Senior Secondary Schools in rural areas of the State during the years 1987, 1988 and 1989 (to-date), separately ; and

(b) whether the new classes have started functioning in the schools as referred to in part (a) above; if so, since when ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती सुषमा स्वराज):

(क) देहाती क्षेत्रों में कन्याओं के मिडल तथा हाई स्कूलो को हाई एवं

वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों तक स्तरोन्नत करने की संख्या

निम्न प्रकार से है:––

	वर्ष	मिडल से हाई	हाई से वरिष्ठ माध्यमिक
1.	1987		
2	1988		
3.	1989	28	2

(ख) नई कक्षाएं आरम्भ करने संबन्धी विवरण इस प्रकार से है –

क्रमांक	स्कूल का वर्ग	स्कूलों की संख्या	तिथि जब से कक्षाएं आरम्भ हुई
1.	हाई	23	1–4– 1989
2.	हाई	1	11–4–89
3.	हाई	1	15–4–89

4.	हाई	2	1– 9– 89
5.	हाई	1	5–9–89
6.	वरिष्ठ माध्यमिक	1	1–9–89
7.	वरिष्ठ माध्यमिक	1	कक्षाएं आरंभ की जा रही हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से काबिल मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन वर्षो में कुछ प्राईमरी स्कूलों से मिडल स्कूल भी देहातों में अपग्रेड किए गए है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः की हां। हमने पिछले सत्य 50 कन्या प्राईमरी स्कूलों को मिडल स्कूलों में अपग्रेड किया था और इस साल ऐसे 125 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। इनमें से 12 स्कूल केवल कन्याओं के अपग्रेड किए गए हैं।

श्री दुर्गा दत्त अत्रीः मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह भी जानना चाहूंगा कि जी कक्षाएं आरम्भ करने की तिथि इस, जवाब में दी गई हैं क्या वह सही हैं यानि क्या इन तिथियों से कक्षाएं आरम्भ हो चुकी हैं या केवल कागजों पर ही ये तारीखें है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, सदन में कोई गैर प्रमाणिक बात कहना अपराध है। इसलिए बाकायदा जो–जो

तिथियां जवाब मे दी गई हैं उन–उन तिथियों से स्कूलों में कक्षाएं आरम्भ हो चुकी हैं।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि वर्ष 1989 में जो 28 स्कूल मिडल से हाई स्कूल और जो 2 हाई स्कूल से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल अपग्रेड किए गए हैं उनकी जिलेवार संख्या क्या है? दूसरे मैं यह जानना चाहता हू कि जिस एक स्कूल में कक्षाएं आरम्भ की जा रही हैं वह कौन से जिले में आता है और वहां पर अब तृक कक्षाएं आरम्भ क्यों नहीं हो पाई?

श्रीमती सुषमा स्वराजः जिस एक स्कूल में कक्षाएं आरम्भ की जानी हैं वह चौटाला गांव का कन्याओ का सीनियर सैकेण्डरी स्कूल है। इस स्कूल को 18 अगस्त को ही अपग्रेड किया गया है जबकि ऐडमिशन की तिथि लेट फीस सहित 31–8–89 थी। देर से अपग्रेड होने के कारण अभी तक वहां पर कक्षाएं आरम्भ नहीं हो पाई हैं लेकिन हमने वहां पर कक्षाएं आरम्भ कराये जाने के लिए ऐजुकेशन बोर्ड को लिखा कि वहां पर ऐडमिशन की तिथि बढ़ा दी जाए। अब ऐजुकेशन बोर्ड ने 30– 9–89 तक ऐडमिशन की तिथि बढ़ा दी है। इसलिये वहां पर अब ऐड मिशन हो जायेगा और कक्षाएं आरम्भ हो जाएंगी। जहां तक 28 मिडल से हाई स्कूल और 2 हाई स्कूल से सीनियर सैकेन्डरी स्कूल अपग्रेड किए गए हैं उनके जिले वाईज जितने नाम मेरे. पास हैं वे भी मैं सदन की जानकारी के लिए बता देती हू। जो दो स्कूल हाई स्कूल

से सीनियर सैकेण्डरी स्कूल अपग्रेड किए हैं वे हैं भिवानी में मानूहैंडू और रोहतक में सांची। जो मिडल स्कूल सें हाई स्कूल अपग्रेड किए गए हैं वे हैं रोहतक जिले में धिरोहर, हिसार मे लाडवा, नारनौल में बाछोड़ और बसीरपुर हिसार में पेटवाड़, रोहतक में हसनगढ, जीन्द में घरोंदी, जीन्द में बलेरखा, जीन्द में सिंघवी खेड़ा, जीन्द में धमबान, जीन्द में धनौर भिवानी में ढोका हरिबग, नारनौल में गाओ, सोनीपत में मदीना, हिसार मे बांस, हिसार में धिराये, जीन्द में हाट, जींद में बुअखेड़ा, रोहतक में आसन, गुडगांव में मानेसर, सिरसा में पानीवाला मोटा, सिरसा में जमाल, फरीदाबाद मे पृथला, जीन्द में गतौली फरीदाबाद में बहीन और रोहतक में खरमान लड़कों का स्कूल।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मची महोदया से जानना चाहूंगा कि हरियाणा में कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर हैड मास्टर के पद रिक्त है? इसके साथ ही साथ मैं एक बात और जानना चाहूंगा। पी० टी० आईज० की पोस्टें सैक्शन होने के बाद डिपार्टमैंट ने एस० एस० एस० बोर्ड को रिक्वीजिशन भेज दी थी और बोर्ड ने सिलैक्टिड पी० टी० आईज० के नाम डिपार्टमैंट कौ भेज दिए हैं। क्या मन्त्री जी बताएंगी कि इन टीचरो को कब तक लगा लिया जायेगा।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नही है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा सवाल सदन में कल या परसों

आएगा। जिस समय यह सवाल सदन में आयेगा उस समय मैं इनके द्वारा इस सवाल में व्यक्त की गई जिज्ञासा को शांत कर दूंगी।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जो 28 हाई स्कूल और 2 सीनियर सैकेन्डरी स्कूलज अपग्रेड किये गए है इनके लिए कितने मास्टर्ज और मिस्ट्रैसिज भर्ती की गई हैं? दूसरे क्या इन स्कूलों में स्टाफ भेज दिया गया है?

श्रीमती सुषमा स्वराजः इसके बारे में एस० एस० एस० बोर्ड को रिक्वीजिशन भेज दी गई है। एस० एस० एस० बोर्ड से मैथ और साईस मास्टर्ज और लेडीज टीचर्ज की लिस्ट हमारे पास आ गई है। जो नाम हमारे पास आये हैं उन्हैं हम जल्दी ही खपाने जा रहैं हैं। दूसरे मैं इन्हैं बताना चाहूंगी कि जहां–जहां पर स्कूल अपग्रेड किए गए है वहां पर स्टाफ पहले ही काफी से ज्यादा भेजा गया है।

श्री रत्न लाल कटारियाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने अपने रिटर्न रिप्लाई में वर्ष 1987 तथा 1988 की जो निल रिपोर्ट दी है, इस निल रिपोर्ट के क्या कारण हैं और क्या इन वर्षों में कोई भी स्कूल अपग्रेड नही किया गया?

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, रिटर्न रिप्लाई में सिर्फ उतना जवाब दिया गया है जितना माननीय सदस्य ने सवाल किया है। माननीय सदस्य ने सवाल किया था कि वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 में कितने स्कूल अपग्रेड किये गये? वर्ष 1987 तथा 1988 में चूंकि कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया इसलिये' जवाब में ''निल'' लिखा है। वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 कैलेण्डर ईयरज हैं जो कि जनवरी से दिसम्बर तक होते हैं। हमारे शिक्षा विभाग मैं सरकारी कामकाज वित्त वर्ष के मूताबिक होता है। वित्त वर्ष अप्रैल से मार्च तक होता है। यदि माननीय सदस्य यह सवाल इस तरह पूछते कि वर्ष 1987–88 1988–89 तथा 1989– 90 में कितने स्कूल अपग्रेड किये गये तो इन्हैं सही जवाब मिलता। विघ्न वर्ष 1988–89 में 50 प्राईमरी स्कूल मिडल में तथा 25 मिडल स्कूल हाई स्कूल में अपग्रेड किये गये हैं। ये स्कूल फरवरी, 1989 में खोले गये थे इसलिए माननीय सदस्य को जवाब निल मिला। पिछले साल हमने 75 स्कूल अपग्रेड किये थे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदया ने बतलाया कि कुछ जिलों में 1– 1 या 2–2 स्कूल अपग्रेड किये हैं। हमारे जिले में भी एक– एक, दो–दो स्कल अपग्रेड किये गए, हैं।

श्री अध्यक्षः आप सवाल तो करें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पर ही आ रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्कूल अपग्रेडेशन के लिये क्या क्राइटीरिया है, नियम क्या हैं, नार्म क्या है? दूसरे क्या ये स्कूल नियमों और क्राइटेरिया को ध्यान में रख कर अपग्रेड किये जाते हैं या राजनैतिक आधार पर अपग्रेड किये जाते हैं? इसके अलावा

Mr. Speaker : You have put the question. Please take your seat now.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः करीब 60 स्कूल इन्होंने अपग्रेड किये हैं। मैं इनसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या क्षेत्र और आबादी की बढ़ती हई मांग के अनुसार स्कूल अपग्रेड' किये जाते हैं?

Mr. Speaker : Mahender Partap Ji, this is not the way I have been requesting you for the last two years. कि आप एक समय में एक ही प्रश्न पूछा करें और सवाल के इधर उधर न जाया करें। आपने तो 4– 5 क्यैश्चंज इकट्ठे ही कर दिये हैं। आप एक सवाल पूछें और उसका जवाब आने दें फिर दूसरा सवाल पूछें उसके जवाब के बाद आप अगले सवाल के लिये मौका लें। आपको पूरा मौका दिया जाएगा लेकिन मन्त्री को सवाल का जवाब तो देने दें।

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहती है। इन्होंने अभी यह

बात कही कि स्कूल नौर्म के आधार पर अपग्रेड किए जाते हैं या राजनैतिक आधार पर अपग्रेड किये जाते हैं। अध्यक्ष जी इस बार मैंने अपनी तरफ से हर विधायक को पत्र लिख कर कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए गांवों के नाम बताएं जहां वे नये स्कूल खोलना चाहते हैं या स्कूलों का दर्जा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे खेद के साथ सदन में यह बात कहनी पड़ रही है कि कांग्रेस के लोगों मे से किसी ने भी किसी स्कूल का नाम नहीं भेजा है। राजनीति अलग चीज है यें लोग अपने हल्कों का विकास काँग्रेस में रह कर भी करवा सकते है। जब इन्हैं अवसर दिया गया तो इन्होंने एक भी नाम किसी गांव का नहीं भेजा जहां स्कूल खोला जाए या स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाएं। इनके अतिरिक्त श्री बलबीर पाल शाह, श्रीमती जसमा देवी तथा श्री मुहम्मद असलम खान ने भी कोई नाम नहीं? भेजा। मैंने अपनी तरफ से ही चुन–चुन कर इनके हल्कों में एक–एक या दो–दो स्कूलों को अपग्रेड किया है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि इन्होने चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी भिजवाने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं औररू यह एक अच्छी परम्परा है।

श्री अध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप जो, आप क्वैश्चन करें। It is question hour. This is not the way. You please put the question.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे इनकी ओर से कोई भी ऐसी चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप जी आप सवाल तो करें।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, ...

..

Mr. Speaker : This is not to be recorded. Mahender Partap ii, You please take your seat.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय .....

.....

Mr. Speaker : Mahender Partap ji, please take ycur seat. The Education Minister wants to say something.

श्रीमती सुषमा स्वराजः अध्यक्ष जी, इस साल की लिस्ट तो आऊट हो चुकी है। लेकिन अभी भी हमने 100 कन्या प्राईमरी स्कूल खोलने हैं। ये अपनी मेज पर देखें, इस प्रकार की एक और चिट्ठी अभी भी शायद इनकी मेड पर पड़ी होगी। ये जहां कन्या प्राईमरी स्कूल खुलवाना चाहते हैं वहां का यदि नाम दे दें तो स्कूल खोल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हैं तो हमारी चिट्ठियां पढ्ने की आदत नही

श्री अध्यक्षः इन्होंने यह चिट्ठी भी नहीं पढ़ी और पहले वाली चिट्ठी भी नहीं पढ़ी होगी। (विघ्न) पहले वाली चिट्ठी भी मेरे

स्टाफ ने बांटी थी और अब वाली चिट्ठी भी मेरे स्टाफ ने बांटी है मुझे इस बारे पर्स नली पता है।

कृषि मन्त्री (श्री रणजीत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इनसे कहिये कि जो चिटठी इनकी टेबल पर पड़ी है उसे ये सदन मे पढ़ कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष: पढने की आवश्यकता नहीं है। (विघ्न)

षइतग्र1ं1ं़ऐ1ंण्द्वइ द्व1ंश्र्ड 1० मुट–भ.०4.

Building given to Ex-M .L.A.

960. Dr. Brij Mohan : Will the Deputy Chief Minister (II) be pleased to state—

(a) whether any building of Municipal Committee, Jagadhri has been given on a nominal lease to Ex. M . L. A. or Ex. Minister from Jagadhri, and

(b) if so, the yearwise maintenance charges of that building from the date of its lease.

उप–मुख्य मन्त्री (डा० मंगल सैन):

(क) हो

(ख)

भवन का वर्षवार रख–रखाव खर्च इस प्रकार हैः–

1970—71	60.40 रुपये
1973—74	4724.31 रुपये
1976—77	8192.66 रुपये
1977—78	10666.70 रुपये
1982—83	28482.96 रुपये
1983—84	9646.20 रुपये
1985—88	46198. 81 रुपये
1986—87	13831. 20 रुपये
	1,21,803.24 रुपये

15.00 बजे।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह लीज कब से शुरु हुई और कब तक की है? दूसरे आज कल इस बिल्डिंग का क्या किराया है और अरब तक जो सरकार ने 1,2 1,803 रुपये खर्च किये हैं उनमें से कितना किराया वसूल किया है? तीसरे जिसको किराये पर दी है उसका क्या नाम है?

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, जगाधरी मैं खेड़ा बाजार में एक बिन्डिंग है जो कांग्रेस के ऐक्स मिनिस्टर डा० ओम प्रकाश शर्मा को सन 1968 में लीज पर दी थी। इसकी 500 रुपये साल की लीज है और इसके रख–रखाव पर जो खर्चा आया है वह 1, 21, 803 रुपये है। (विघ्न) यह तो वही बात है कि अन्धा बांटे रेवडिया मुड़ मुड़ अपनों को दे।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, पूछ रहैं हैं कि यह कब से लीज पर है?

डा० मंगल सैनः सर, मैंने बताया है कि सन 1968 से लीज पर है।

डा० बृज मोहनः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता है कि इस तीन मंजिली बिल्डिंग का कितना एरिया? है और इस बिल्डिंग को लीज पर देने से पहले क्या सरकारी तौर पर अमैसमेंट करायी गई थी और नहीं करायी गई तो क्या कारण है ?

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, सन 1968 में कांग्रेस राज था। उस टाईम पर डाक्टर ओम प्रकाश शर्मा ऐक्स मिनिस्टर को 500 रुपये साल की लीज पर खेड़ा बाजार की बिल्डिग को दिया गया था। जमीन का रकबा 1900 सक्वेयर फीट है। मैंने इस बारे में सारी जांच पड़ताल की है कि पी० डब्ल्यू० डी० से असैसमेंट करायी गई थी या नही। (विघ्न) मैंने अफसरो से

पूछताछ की है। इसके बारे में कोई असैसमेंट नहीं करवायी गई उन्होने बाद मैं एक दरखास्त और दें दी कि इस लीज की मियाद बढ़ा दें और वह मियाद बढा दी गई है। लेकिन स्पीकर साहब, अगर यह अगला सवाल यह करेगे कि ली व कैसिल हो सकती है या नहीं तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। (हंसी)

डा० बृज मोहनः मेरा एक सवाल तो यह है कि इतने कम किराये की वजह से कमेटी को जे लाख रुपये का नुक्सान हुआ है क्या उसकी रिकवरी कर सकते हैं? दूसरा यह है कि क्या इसकी लीज कैंसिल कर सकते हैं और अगर और कुछ नही हो सकता तो क्या किराया बढ़ा सकते हैं?

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार बन्द करना है। मैं इसकी इन्कवायरी करवाऊंगा कि यह किस अफसर ने हिमाकत की और इतना नुक्सान किया कि एक हजार रुपये की इन्कम के अगेंस्ट 1 लाख 21 हजार रुपया खर्च हो। घर बैठे बिठाये 1 लाख 20 हजार रुपये की पैंशन दे दी। मैं इसकी इन्कवायरी करवाऊंगा और ला डिपार्टमैंट सै पूछ कर अगर लीज कैंसिल हो सकेगी तो उसको कैंसिल करने की भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, डाक्टर साहब ने अभी यह कहा है कि वह यह देखेंगे कि किस अधिकारी की गलती

की वजह से ऐसा हुआ है और वह उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं उनसे यह जानना चाहता हं कि अधिकारी के खिलाफ तो आप कार्यवाही करेंगे ही लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी हैसियत का दुरुपयोग करके यह फायदा उठाया है, उसको भी क्या प्रौसीक्यूट करेंगे?

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, अगर कानुन इजाजत देगा तो उनके लिये भी दण्ड का प्रबन्ध करेंगे।

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, डाक्टर साहब हमारे बड़े सीनियर मैम्बर हैं। क्या वे यह बता सकते हैं कि डाक्टर ओम प्रकाश उस वक्त कौन सी पार्टी में थे जिस वक्त यह लीज उनको दी गयी?

डा० मंगल सैनः कांग्रेस में।

श्री मोहम्मद असलम खांः नहीं जी, वह जनसंघ में थे। (शोर व व्यवधान)

डा० मंगल सैनः वह जनसंघ' छोड़ कर जा चुके थे।

श्री मोहम्मद असलम खांः 1967–68 में वह जनसंघ में थे। 1968 का इलैक्शन उन्होंने जनसंघ में लड़ा था।

डा० मंगल सैनः 1968 में जब उन्होंने यह भ्रष्टाचार किया तो वह जन– संघ छोड्कर कांग्रेस में जा च्युके थे। (व्यवधान व शोर)

श्री मोहम्मद असलम खांः यह गलत बात है।

Dr. Mangal Sein : Sir, **I** challenge it. (Interruptions).

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। प्रदेश में बहुत सी ऐसी जमीनें हैं जो नौमीनल लीज पर दी हई हैं।

Mr. Speaker : It is not possible for the minister to reply about the whole State. कोई कम्पय्टर सिस्टम तो नही है कि सार्री स्टेट की इन्फर्मेशन उनके पास हो।

श्री हरपाल सिंहः सर, कोई तो सिस्टम होगा जिस के तहत इनके पास थोड़ी बहुत इन्फर्मेर्शन होगी।

Mr. Speaker : No, no, it is not relevant. Please take your seat.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय की भ्रष्टाचार बन्द करने की बात का स्वागत करता हू लेकिन उन्होंने जो कहा कि अन्धा सटे रेवडियां, मुड़–मुड़ अपनो को दे इसके बारे में कहना चाहता हूं कि गुड़गांवा और फरीदाबाद में अब भी रेवडिया बंट रही है। (विध न)

Mr. Speaker : Yadav ji, this is not the way. I will not allow this type of supplementary.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मैं तो यह जानना चाहता हुं कि जो इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और उसके मुकाबले मे सरकार को बहत कम पैसा मिल रहा है, इसकी रिकवरी करने के लिये मं वी जी कोई कदम उठा रहैं हैं?

डा० मंगल सैनः स्पीकर साहब, जो रेवडिया बांटने वाली बात थी, वह मैंने उस वक्त की सरकार के बारे में कही थी। रघु साहब को यदि कोई हउस्सा या रंज. है तो किसी और वक्त निकाल लें। मेरे ही सवाल पर क्यों निकालें? जहां तक इनके सवाल का सम्बन्ध है, इस बारे में मैंने पहले ही निवेदन किया है कि अगर यह पैसा रियेलाइज हो सकता होगा और कानून इस बात को इजाजत देगा तो जरूर करेंगे, छोडेंगे नही।

Illegal Possession of the property of Municipal Committee, Hodel

***986. Shri Udai Bhan :** Will the Deputy Chief Minister (II) be pleased to state—

(a) whether any case of illegal possession of the property of Municipal Committee, Hodel by a member of Municipal Committee has come into the notice of the Government ; and

(b) if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon ?

उप–मुख्य मन्त्री (डा० मंगल सैन):

(क) हाँ।

(ख) (1) श्री जगन लाल, नगरपालिका सदस्य द्वारा निम्नलिखित नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है:—

1 मोहल्ला खटीकान के पुराने कुआ पर,

2. मोहल्ला खटीकान के शाही मकबरे पर,

3. मोहल्ला खदीकान के सार्वजनिक शौचालय पर, तथा

4 नगरपालिका सड़क के एक भाग पर तथा

(2) श्री रूपी, नगरपालिका सदस्य द्वारा नगरपालिका की 6 दुकानें जो पुराने कैटल पाउण्ड में हैं, पर अवैध कब्जा किया हुआ है।

उपरोक्त मामले में सरकार ने उप मण्डल अधिकारी (ना०), पलवल को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 14 (1) के तहत जाँच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, वहां पर उस आदमी ने बीस लाख की प्रौपर्टी नाजायज तौर पर दबा रखी है। नगरपालिका ने लोन लेकर उस प्रौपर्टी को बनवाया था और उस आदमी ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा

करेंगे' कि कब्जा कब से है और जांच में विलम्ब होने का क्या कारण है तथा कब से जांच पैंडिंग है?

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, यह लाखों की प्रौपर्टी है यह तो आनरेबल मैम्बर खु0द समझ सकते हैं। सवाल यह किया गया था कि क्या वहां पर किसी ने नगरपालिका की प्रौपर्टी पर नाजायज कब्जा कर रखा है और इस मामले में कोई ऐक्शन लिया गया है? अध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले फरवरी में इस बारे में इंक्वायरी इंस्टीच्यूट हुई थी) मैंने औफिसर्ज से पूछा कि छैरू महीने इसको क्यों हो गए हैं ? अब मैं तार द्वारा इसको ऐक्सपीडाइट करवा रहा हूं और कानून में जो डिस्ववालिफिकेशन है उसको भी दूर किया जाएगा।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है और जांच की जा रही है। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार मान चुकी है कि अवैध कब्जा है तो जांच करवाने की क्या जरूरत हैं?

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, यह तो शब्दो का हैंर फेर है। इसका मतलब यह है कि it is alleged.

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, जवाब में बताया गया है कि एस० डी० ओ० सिविल को यह जांच दे रखी शै। क्या मन्त्री

महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इससे पहले भी एस० डो० ओ० या डिप्टी कमिश्नर द्वारा इस मामले में जांच की गई है?

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए क्योंकि इस वक्त मेरे पास रिकार्ड नही है।

श्री रघु यादवः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर यह आरोपित है तो यह आरोप किसका है?

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, यह आरोप वहां के पालिका अध्यक्ष का है **श्री उदय भानः** अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसके लिए सैपरेट नोटिस की कोई आवश्यकता नही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिस वक्त यह कबजा किया गया था और उस वक्त जो अधि कारी थे, उनके खिलाफ भी कोई इंक्वायरी होगी ?

डा० मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, इस अपराध में जो भी शामिल होगा चाहैं वह अधिकारी है या कोई और है सब को दण्ड दिया जाएगा।

Upgradation of Babain Power Station

***961 Shri Rattan Lal Kataria :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 33 K. V. Babain Power Station to 66 K.V. Power Station ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Power Station is likely to be upgraded ?

Irrigation and Power Minister (Shri **Verender Singh)**

(a) Yes.

(b) About two years.

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने दो वर्ष का समय दिया है जिसमें यह कम्पलीट हो जाएगा। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस पर कब से काम श्रू हो जाएगा?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसका फाउन्डेशन ले डाउन करने का काम शुरू हो गया है।

श्री भगवान सहाय रावतः क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में कितने 33 के० वी० स्टेशंज को 66 के० वी० पावर स्टेशंज में बदलने की स्कीम है और क्या इसमें हथीन भी शामिल हैं?

श्री बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल वैसे तो बबैनं के बारे में था और ज्यादा से ज्यादा कुरुक्षेत्र जिला शामिल हो सकता था लेकिन आनरेबल मैम्बर ने हथीन के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्षः उन्होंने इसलिए पूछ लिया है क्योकि आपको सब का पता है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, 1989– 90 में हम जो सबक्टेशंज कंस्ट्रक्ट करने जा रहैं है उनकी लिस्ट मेरे पास है लेकिन उसमें हथीन का नाम कही नजर नहीं आ रहा है?।

सेठ लछमन दास बजाजः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी करनाल कांस्टिचुऐंसी के बारे में जानना चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि काछवा में 33 के० वी० का सब–स्टेशन कायम किया जाएगा?

श्री वोरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के हनके में गांव काछवा है और वह इनका बहुत प्रिय गांव है,। मैं वहां गया था और वहां के लोगों की मांग थी कि वहां पर 33 के० वी० सब–स्टेशन की मन्जूरी दी जाए। वहां के लोगों ने बजाज साहब की बहुत मदद की थी इसको देखते हुए और उनके प्यार को देखते हुए मेरा मन पसीज गया कि उस गांव को 33 के० वी० का सब–स्टेशन मिलना चाहिए। मैंने इस मामले को बोर्ड से ऐग्जामिन करवाया.। महकमें ने पूरी तरह से इसको ऐग्जामिन किया लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बोर्ड ने यह लिखा कि काछवा में यह सब–स्टेशन बनाने की कोई जस्टीपिकेशन नही है।

Allotment of residential plots and service to Land Owners

affected by acquisition

936. Chaudhri Satbir Singh Kadian : Will the Deputy Chief Minister (1) be pleased to state—

(a) whether there is any criteria fixed by the HUDA regarding allottment of plot and to provide service to the family member, whose lands are acquired ; and

(b) if so, whether the allottment of plot to the member as referred to in part (a) above is made on the same rate at which HUDA has acquired the land ?

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) उन व्यक्तियों को जिनकी जमीन का शहरी सम्पदा को विकसित करने के लिए अभिग्रहण किया जाता है, प्लौटों का नियतन करने की एक स्कीम है, परन्तु परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) वह भूमि मालिक जिनकी जमीन अभिग्रहण की जाती है उनको भूमि अभिग्रहण ऐक्ट, 1894 के अधीन दिए गए पंचाट के अनुसार उनकी जमीनों का मुआवजा दिया जाता है और जो निष्कासित नीति के अनुसार प्लौटों के योग्य बनते हैं उनको उस सम्पदा के सैक्टर के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सामान्य नियतन दर पर प्लौटों के लिए भुगतान करना होता है।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पानीपत के गांव नांगलखेड़ी की जमीन इंडस्ट्रीयल ऐस्टेट के लिये ऐक्वायर की है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां के किसानों को, जिनकी जमीन ऐक्वायर की गयी है, कितने कितने गज का प्लौट दिया गया है? अगर नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करने का 'विचार रखती है कि जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर की गयी है उनको रिहायशी प्लौट दिये जाएं ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अभी तक इस नीति के अन्तर्गत केवल गुडगांव के अन्दर साढ़े तीन तीन सौ वर्ग गज के केवल दो प्लौट अलौट किये हैं। करनाल से इस सम्बन्ध में हमारे पास अभी तक कोई प्रार्थना–पत्न नहीं आया।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, सरकारी नीति के अनुसार जिन लोगों की जमीन ऐक्वायर की जाती है उन लोगों को रिहायशी प्लौट सरकार की ओर से दिये जाते हैं। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जिस किसान की 50 गज के लगभग जमीन ली गई हो ऐसे किसान को भी प्लौट दिया जाएगा? क्या कोई ऐसा प्रावधान है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, 200 गज से कम ऐक्वायर की गई जमीन पर तो प्लौट देने का सवाल ही नहीं है। हां, जिस किसान की 500 गज जमीन ऐक्वायर की गई हो उसे 100 वर्ग गज, एक एकड़ वाले को 250 वर्ग गज व एक एकड़ से

अधिक जिसकी जमीन ऐक्वायर की जाएगी उसको साढ़े तीन सौ वर्ग गज का प्लाट दिया जाएगा।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक ही सैक्टर में ऐक्वायर की गई भूमि की कीमत दो भावों में हो सकती है? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जिस भाव से किसान की जमीन ऐक्वायर की जाएगी क्या उसी भाव से उसको प्लौट भी दिये जाएंगे क्योंकि वे प्लौट उसी की अपनी जमीन में ही होंगे?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल सम्भव नही है कि जिस रेट पर भूमि अभिग्रहण की जाए उसी रेट पर जमीन दी जा सके कयोंकि जब जमीन ऐस्वायर की जाती है तो उसमें सें सड़कें छोड़ी जाती हैं, पार्कस छोड़े जाते हैं, उस सड़क का बाकायदा विकास किया जाता है। सीवरेज बिछाया जाता है, पाईप लाईन्ज बिछायी जाती हैं। इस तरह से सारा डिवैल्पमैंट का खर्चा डालकर जो कीमत बैठती है उसी के आधार पर नो प्रौफिट नो लौस बेसिज पर प्लौट दिये जाते हैं।

चौधरी सतबीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, हुड्डा जब लोगो को प्लौट देता है तो वह जमीन काफी उंची नीची होती है, उबड़ खाबड़ होती है जिसके कारण से लोगों को उस पर काफी खर्चा करना पड़ता है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस हालत में लोगों से डिवैल्पमैन्ट के चार्जिज लेने की क्या तूक है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, हम जमीन को डिवैल्प करके देते हैं। जब वह जमीन पूरी तरह से डिवैल्प हो जाती है तब हम लोगों को देते

श्री रत्न लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हुड्डा किसानों से कम कीमत पर जमीन लेकर जो कालोनीज डिवैल्प करता है इस डिवैल्पमैन्ट के पीछे कोई आर्थिक कारण है या कोई और सामाजिक ध्येय है ?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, ज्यों ज्यों शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है उसी तरह से लोगों की रिहारयशी मकानों की जरुरतें भी बढ़ती जा रही हैं। अगर हम प्लैन्ड वे में जमीन की डिवैल्पमैन्ट करके नही देते तो वह हैफाजर्ड डिवैल्पमैन्ट होगी व स्लमज होंगे। इसीलिये प्लैन्ड डिवैल्पमैन्ट के लिये यह आवश्यक है कि जमीन अभिग्रहण करने के पश्चात् उस जमीन की पूरी तरह से डिवैल्पमैन्ट की जाए और उसके बाद ही लोगों को रिहायशी प्लौट दिये जाएं।

श्री कान्ति प्रकाश भल्लाः स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने अभी बताया कि किसानों को रियायती दर पर प्लौट दिए जाएंगे। क्या इन्होने रियायती दर फिक्स कर लिए हैं, अगर हां तो वे क्या हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जो रैजीडैशियल प्लौटस हैं, वे हम लौटरी के द्वारा देते हैं। जितनी भी

ऐप्लीकेशंज होती हैं, उनमें से हम लौटरी निकालते हैं। अब हमने सारा सिस्टम कम्पयूटराइज्ड कर दिया है। फर्ज करो दस हजार ऐप्लीकेशंज हैं और प्लौटस एक हजार हैं तो जिन एक हजार लोगों के नाम कम्प्यूटर में आ जाएंगे उनको प्लॉट दे देते हैं। ये प्लौट्स बिना हानि और लाभ के आधार पर दिए जाते हैं। इसी हिसाब से किसानों को दिए जाते हैं।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मन्त्री महोदय ने फरमाया कि किसान की जो जमीन अभिग्रहण की जाती है उसके लिए हुड्डा का उद्देश्य है कि नो प्रोफिट नो लौस बेसिज पर बेघर वालों को प्लौट मुहैया करवाए जाएं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी के नोटिस में भी यह चीज लाकर जानना चाहूं गा कि आज हुड्डा सारे डिवैल्पमैन्ट के खर्चे पता नही किस तंग से लगाता है और उस जमीन को करीब 6 सौ रुपए गज के हिसाब से बेच रहा है। मुझे अभी मालूम हुआ है कि कुछ जगह ओं पर तो आठ सौ रुपए प्रति गज का रेट रख रहा है। जो कमर्शियल पर्पज के लिए प्लौट रखे जाते है, जैसे सिनेमा है और दुकानें हैं उनसे जो आमदनी होती है अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो दर और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा डिटेल में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः यही तो आपकी प्रौबल्म है। यह क्वैश्चन आवर है। (शोर)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः सर, यह काम की बात है।

श्री अध्यक्षः काम की बात किसी और सबजैक्ट पर बोलते हुए कह लेना। you pit ase put the question.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः कोआप्रेटिव बेसिज पर बनी हुई सोसाइटीज के रेटस नो प्रौफिट नो लौस बेसिज पर होते हैं। उ नको दो सौ रुपए गज की बजाए तीन सौ रुपए गज दे रहैं हैं।

Mr. Speaker : Chaudhri Mahender Partap Singh ii, it is not a question, it if a statement and speech. I will not allow to do so. You please put a straight question or take your seat.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही कर रहा हूं और यह जानना चाहता हं कि जो विसंगति पैदा हुई है इससे नो प्रौफिट नो लौस की बजाए रेट बहुत ज्यादा बन जाते हैं। किसान, जिसकी जमीन चली जाती है, उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए क्या उसको रियायती दर पर प्लौट देने की योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से सारी बाते बताई बै कि किस रेट पर किसान को जमीन देते हैं। यह बात गलत है कि मुनाफा कमाया जा रहा है। डिवैल्पमैन्ट का खर्चा डाल कर जमीन की कीमत नो प्रौफिट नो लौस बेसिज पर निर्धारित की जप्ती है।

श्री धर्म पालः स्पीकर साहब, अभी उप मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि गुड़गांव मे किसानों को प्लौट दिए गए हैं। क्या वे बताएंगे कि किस गांव के लोगों को किस–किस सैक्टर में प्लौट दिए गए हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, निष्कासित योजना बनने के उपरान्त निष्कासितों को साढ़े तीन सौ वर्ग गज के दो प्लौट सैक्टर पांच, पार्ट एक, गुड़गांव में अलौट किए गए हैं और अढ़ाई सौ वर्ग गज का एक एक प्लौट सैक्टर 3, 31 और 32–ए गुड़गांव में दिया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को उन भूमिपतियों की ओर से जिनकी भूमि सैक्टर 31 और 32–ए में गुड़गांव विकास हैंतु अर्जित की गई है, 150 आवेदन पत प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा सेठ लछमन दास बजाज स्पीकर साहब, इन प्लौटस में जो सिनेमा वगैरह के कमर्शियल प्लौटस होते हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा रखी जाती है। क्या उप मुख्य मन्त्री जो बताएंगे कि ऐसे प्लौटस उन लोगों को कम रेट पर दिए जाते है जिनकी जमीन ऐक्वायर की जाती हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जो प्लौट होल्डर्ज हैं, उनके बारे मे मैंने निवेदन किया है कि उन्हैं हम प्लौटस मो प्रौफिट नो लौस पर देते हैं। जो कामर्शियल प्लौटस हैं उनकी हम औक्शन करते हैं। औक्शन करने पर जितना पैसा, हमारे पास आता है उससे हम वीकर सैक्शंज और बैकवर्ड

क्लासिज के लोगों के लिए अलग से कालोनी बनाते हैं। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में एक न्यूसैस है। वहां पर 24 हजार के करीब झुग्गी झोपड़ी बन गई हैं। हमने उन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए एक सैक्टर अलग से बनाया है और उनको हमने 100 रुपए गज के हिसाब से 3 हजार प्लौट अलौट किए है जबकि वहां पर एक हजार गज के हिसाब से भाव है। जो गरीब लोग है उनके फायदे के लिए हम सिनेमा और कामर्शियल प्लौटस की औक्शन करते हैं और उस औक्शन से जो रकम आती है वह हम समाज के हित में खर्च करते हैं।

Hooch Tragedy in District Bhiwani

***965. @Shri Surender Kumar Madan Shri Yogesh Chand Sharma, Shri Hira Nand Arya, Shri Raghu Yadav, Shri Kailash Chand Sharma :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the number of persons died and suffered physically on account of consumption of hooch in District Bhiwani during the period from March, 1989 to August, 1989 ; and

(b) whether any such other complaint of consumption of hooch has also been received from any where else in the State during the period referred to in part (a) above, if so, the action taken thereon ?

Excise and Taxation Minister (Rao Ram Narain) :

(a) About thirty people were adversely affected

and out of these eleven people lost their lives.

(b) No Sir.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषय में जो अपराधी थे, क्या उन सब को पकड़ लिया गया हैं? इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हू कि क्या इस विषय में ऐक्साइज डिपार्टमैंट के कर्मचारी भी शामिल पाए गए, अगर शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

राव राम नारायणः स्पीकर साहब, इस विषय में 8 अपराधी थे जिनमें से 7 अपराधी पकड़ लिए गए है और 8 वां अभी मफरुर है। ऐक्साइज विभाग का कोई कर्मचारी इसमें शामिल नहीं था।

Mr. Speaker : Hon. Members, Question Hour is over.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला था। इस विषय में मैं भी सवाल पूछना चाहता हूं। (शोर)

Mr. Speaker : Now, Question Hour is over. (Interruptions)

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Government Livestock Farm Hissar

***982 Shri Mani Ram :** Will the. Minister of State for Animal Husbarmdry be pleased to state the total area of land of Government Livestock Farm, Hissar on which the various types of seeds was produced by the Animal Husbandry Department during the year 1987-88 and 1988-89 together with the yearwise details thereof separately ?

पशु पालन राज्य मन्त्री (श्री अजमत खां):

अ. राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में विभिन्न प्रकार के बीजों के उत्पादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र वर्ष 1987–88 में 359 एकड़ और वर्ष 1988–89 में 235 एकड़ था।

ब. वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:–

	1987– 88	1988– 89
फसल	रकबा एकडों में	रकबा एकडों में
तोडिया गेहूं	—	31
रैया	140	
मक्का विजय कम्पोजिट	—	50
लोबिया	20	—
मूंग मक्का	20	

ढांचा	120	—
चना	34	34
मेथी	25	
कुल		72
	—	48
	359	235

Cooperative Group Housing Societies

***963. Shri Kanti Parkash Bhalla :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Cooperative Group Housing Societies registered under the Group Housing Scheme of HUDA at Panchkula during the year 1983;

(b) the number 91 societies out of those referred to in part (a) above which have been allotted land by HUDA at Panchkula ; and

(c) the steps, if any , taken or proposed to be taken by the HUDA to require the land for the societies, as referred to in part (a) above ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल):

(क) 228 (ख) शून्य

(ग) कोई नहीं

Construction of Roads in Tohana Constituency

***974 Comrade Harpat Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleakd to state whether there is any proposal under consideration of the Goverment to construct the following roads in Tohana constituency ;

(i) Chillewal Abadi link road

(ii) from Chamar Khera to Kandool ;

(iii) from Nathuwal to Seond ;

(iv) from Nangla to Gajuwala and

(v) from Inda Chhoi to Lehrian ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश भारद्वाज):

1. जी, हां।

2. जी, नही।

3. जी, हां।

4. जी, हां।

5. जी, नही।

घोषणाएं–

अध्यक्ष द्वारा–

(1) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्स औफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट औफ बिजनैस के रूल 13 (1) के अनुसार मैं फोलोइंग मैम्बर्ज को पैनल औफ चेयरमैन में काम करने के लिए नौमिनेट करता हुंः––

श्री टेक चन्द

श्री शिव प्रशाद

श्री योगेश चन्द शर्मा

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह

(2) कमेटी ओन पैटीशन्ज

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट औफ बिजनेस के रूल 286 (1) के अनुसार मैं फौलोइंग मैम्बर्ज को कमेटी ओन पैटीशन्ज में काम करने के लिए नोमि नेट करता हूं –

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष, ऐक्स ओफिशियो चेयरमैन

श्री भगवान सहाय रावत

श्री दुर्गा दत्त अत्री

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान

श्री टेक चन्द अनपस्थिति की अनुमति

कुमारी मेधावी कीर्ति एम० एल० ए० को

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज मुझे कुमारी मेधावी कीर्ति, एम० एल० ए० की ओर से इन्टीमेशन मिली है, जो इस प्रकार हैः—

"That I am unable to attend the current Session of the Assembly because of medical reasons.I deeply regret my inability to attend the Session."

Question is -

That leave of absence be granted to Miss Maydhaavi Quirti, M.L.A. for the current session of the Vidhan Sabha.

Voices : Yes.

The motion was carried.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मेरी सीट क् यों बदली गयी है? (शोर)

Mr. Speaker : Yadav ji, about this, you can talk to me in my chamber.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, आपने मेरी सीट यहां क्यों बदल दी? (शोर)

Mr. Speaker : Yadav Sahib, please listen, that seats

are allotted in consultation with the leader of the House and leaders of parties.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैशन मोशन का नोटिस दिया है। (शोर)

Mr. Speaker : Yadav Sahib, you can enquire about this in the zero hour tomorrow. Now ,ou please take your seat.

घोषणा–

सचिव द्वारा–

राष्ट्रपति/ राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः अब सैक्रेटरी साहब अनाउसमैंट करेंगे।

सचिव मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने अगस्त, 1988 तथा फरवरी–मार्च, 1989 के सत में पारित किए थे, तथा जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं:

August Session, 1988

1. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 1988.

2. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1988.

February-March Session, 1989

1. The Punjab Agricultual Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 1989.

2. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1989.

3. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1989.

4. The Haryana Relief of Agricultural Indebtedness Bill, 1989.

5. The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1989.

6. The Punjab Motor Vehicles Taxation (Haryana Amendment) Bill, 1989.

7. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1989.

8. The Punjab Entertainments Duty (Haryana Amendment) Bill, 1989.

9. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 1989.

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष: अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी दारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं –

"The Committee met at 10.00 A.M. on Monday, the

11th September, 1989 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in be session , shall meet on Monday, at 2.00 P.M, and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday at 9.30 A. M, and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

The Committee also recommends that on Wednesday, the 1 3th September, 1989 the Assembly shall meet et 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business from 1 1 th to 1 3th September, 1989, be transacted by the Sabha as follows : —

Monday, the 11th September, 1989. (2.00 P.M.)	1 .	Obituary References.
	2.	Questions Hour.
	3.	Presentation and adoption of the First Report of the Bnsiness Advisory Committee.
	4.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Presentation of Supplementary Estimates (first-instalment)

		1989-90 and the Report of the Estimates Committee thereon.
	6.	Reports of the Committee of Privileges
	(I)	Presentation of five Prelimi- nary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
	(ii)	Presentation, consideration and adoption of the Report, of the Committee of Privileges regarding alleged breach of privilege against Sh. Rajinder Choudhary and Sita Ram Jindal in regard to threaten- ing Sh. Him Nand Arya, M. L.A. on phone on 27-5-88 and to sue him for damages on account of defamation.
	7.	Leave to introduce and intro-

		duction of the Government Bill.
Tuesday, the 12th September, 1989. (9 . 30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Discussion and voting on Supplementary Estimates (first instalment) 1989-90.
	3.	Legislative Business.
Wednesday. the 13th September, 1989. (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule 15' regarding Non-stop sitting.
	3 .	Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
	4.	Appropriation Bill, 1989 in respect of Supplementary Estimates (first instalment) 1989-90.

	5.	Legislative Business.
	6.	Any other Business."

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ –

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैन्डेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह संवैधानिक जरूरत है कि 180 दिन के अन्दर अन्दर सैशन बुला लिया जाये। 15 मार्च को हम लोग बजट सैशन पूरा करके गए थे इसलिए 15 सितम्बर से पहले पहले सैशन बुलाना अनिवार्य था। महज 3 दिन के लिए सैशन बुलाना ठीक नही है हर सप्ताह का चौथा दिन यानि बृहस्पतिवार भरा दिन विधान सभा के नियमो की परम्पराओं के अनुसार गैर–सरकारी संकल्प का दिन होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसी सदन के एक माननीय

सदस्य चौधरी रणजीत सिंह जो इस समय कृषि मंत्री के पद पर मौजूद पैं, का एक गैर सरकारी संकल्प विचाराधीन है। मैं भी इस हाउस सै लगातार दो साल सै प्रार्थना कर रहा हूं कि क्षेत्रीय असमातता को मिटाने के लिए अहीरवाल विकास बोर्ड का गठन करने वाले मेरे संकल्प को विचारार्थ स्वीकार करें और उस पर विचार करे।

Mr. Speaker : This is not the way. Please take your seat.

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात करने का मौका तो दें। .....

Mr. Speaker : Mr. Yadav, please take your seat. This is not the way. Nothing is to be recorded.

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, आपने आज सुबह ही बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी की मीटिंग की थी और उस समय आपने स्वयं भी यह महसूस किया होगा कि सदन के पास तीन दिन का भी काम नही है। मेरे भाई रघु यादव जी सरकार पर यह लाछन लगाना चाहते हैं कि सरकार जानबूझ कर छोटे सैशन बुलाती है। अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड इस बात का गवाह है कि हरियाणा में मौजूदा सरकार आने के पश्चात पिछला बजट सैशन सबसे लम्बा सैशन था। जब से हरियाणा बना है तब से इतना लम्बा सैशन कभी नही चला। इसमें प्राईवेट डे को औफिशियल डे में कन्वर्ट करने वाली तो कोई बात नही है। सदन

के पास कोई काम ही नहीं है। How can we wait when that day will come? इसलिए मेरे साथी ने जो बात कही है, वह गलत है। सदन के पास तीन दिन का भी काम नही है। मेरे ख्याल में आज भी अब से एक घण्टे बाद, सदन के पास कोई भी काम नहीं रहैंगा। आनरेबल मैम्बर्ज को चाहिए कि वे लोगों की जरूरतों को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा समा अपनी कास्टिचुऐसीज में लगाये ताकि वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने और जनते जनार्दन की दुख तकलीफों में शामिल हो सके। प्रैस गैलरी द्वारा खबरें छपवाने की बजाये यह अच्छा रहैंगा कि हम लोग। के पास जाएं और उनके दुखो का निवारण करें।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब टेबल औफ दि हाउस पर पेपर ले/रि ले

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to lay on the Table

The Haryana Municipal (Amendment) Ordinance, 1989 (Haryana Ordinance No. 1 of 1989).

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 35/Const./ Art. 320/Amend. (1)/89, dated the 3rd April, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R.36/Const./ Art. 320/Amd. (2)/89, dated. the 10th April, 1989 regarding the' Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. **G.S.R.** 44/Const./ Art. 320/Amd.(3)/89, dated the 10th May, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) /Notification No. G.S.R. 68/Const./Art. 320/C. 3/89, dated the 21st August, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulations, 1989, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 73/Const./Art. 320/Amd.(5)/89, dated the 5th September, 1989 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions, Fifth Amendment Regulations, 1989 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 48/H.A.3/70/S.8 & 9/89, dated the 19th May, 1989 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowance (First Amendment) Rules, 1989, as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 38/H.A. 20/73/ S. 64/89, dated the 19th April, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 46/H.A.20/73/ S.64/89, dated the 17th May, 1989 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 66/H.A.20/73/ S.64/89, dated the 25th July, 1989 regarding the Haryana Transit Slip Writers Licensing Rules, 1989 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The 6th Report and Accounts of Haryana State Electronics Development Corporation Limited for the year 1987-88 as required under Section 619(A) (3) of the Companies Act, 1956.

The Audit Report on the Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ending 31st March, 1985, as required under Section 37(7t of the State Financial

Corporations Act, 1951.

The Audit Report on the Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ending 31st March, 1986, as required under Section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Audit Report on the Accounts of the Haryana Financial Corporation for the year ending 31st March, 1987, as required under Section 37(7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The 11th Annual Report and Accounts of Haryana State Handloom & Handicrafts Corporation Limited for the year 1986-87 as required under Section 619(AX3) of the Companies Act, 1956.

The 21st Annual Report of Haryana Warehousing Corporation fo. the year 1987-88 as required under Section 31 (II) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The Annual Report on the Working of the Haryana Public Service Commission for the year 1987-88, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

The 21st Annual Statement of Accounts for the year 1987-88 of the Haryana State Electricity Board as required under Section 69(5) (a) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The Annual Report and Accounts for the year 1986-87 of the Haryana Dairy Development Corporation Limited as required under Section 619(A)(3) of the Companies Act, 1956.

उप–मुख्य मन्त्रो (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की मेज पर रखता हूं–

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबन्धों के अनुसरण में 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की 1989 की सं० 1 रिपोर्ट (वाणिज्यिक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 1987– 88 के लिए हरियाणा सरकार की भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की 1989 की सं० 2 रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां)

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to relay on the Table-

The Housing Department Notification No. G.S.R. 68/P.A. 24/61/S. 40/88, dated the 16th September, 1988, regarding the Punjab Slum Areas (Improvement and Clearance) Haryana 1st Amendment Rules. 1988, as required under Section 40(3) of the Punjab Slum Areas (improvement and Clearance) Act, 1961.

The Health Department Notification No. G.S.R. 97/H 21/86/S-3/88, dated the 8th December, 1988 regarding the Haryana Medical Education Service Rules. 1988, as required under Sub-Section 3 of Section 3 of the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Act, 1986.

The Cooperation Department Notification No G.S.R. 11/H.A. 22/84/S. 131/ 89, dated the 27th January, 1989, regarding the 'Haryana Cooperative Societies Rules, 1989, as required under Section 131(3) of the Haryana Cooperative Societies Act, 1984.

वर्ष 1989– 90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (पहली किस्त) पेश करना

श्री अध्यक्ष: अब फाईनैंस मिनिस्टर वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (फर्स्ट इंस्टालमैंट) प्रेजैन्ट करेंगे।

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1989–90 के अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) पेश करता हूं।

ऐस्टिमेट्स कमेटी की वर्ष 1989– 90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेट्स (पहली किस्त) पर रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्ष: अब श्री सतबीर सिंह कादयान, मैम्बर, ऐस्टिमेटस कमेटी, वर्ष 1989–90 के सप्लीमैंटरी ऐस्टिमेटस (फर्स्ट इंस्टालमैंट) पर कमेटी की रिपोर्ट प्रेजैट करेंगे।

Shri Satbir Singh Kadian (Member, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on. the Supplementary Estimates (First Instalment) for the year 1989-90.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढाना

(1) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 12 सितम्बर, 1987 को श्री हजारी लाल, डिप्टी सुप्रिन्टैंडैट पुलिस, जींद, द्वारा टेलीफोन पर श्री डी० डी० अली, एम० एल० ए० तथा हाउस के अगेन्स्ट मोस्ट डैरोगेटरी, इंस्लटिंग एंड कंटैम्पचुअस लैग्वेज प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न के इशु पर कमेटी की फिफथ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्शन के लिये मोशन मूव करेगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman Privileges Committee) : Sir, I beg to present the Fifth Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Hazari Lal, Deputy Superintendent of Police, Jind, in respect of his using most derogatory, insulting and contemptuous language against Shri D. D Attri, M.L.A. and the House on 12.9.1987 on phone.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first **ting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैंट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैड कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम०एल०एज० के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रविलेजिज कमेटी, श्री इन्द्र सिंह नैन और श्री भले राम, ऐक्स एम० एल० एज० द्वारा 21 दिसम्बर, 1987 को सैशन में उपस्थित होने के लिये हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय मुख्य मन्त्री तथा सर्वश्री वासुदेव शर्मा, मांगे राम तथा धीरपाल, एम० एल० एज० कौ रोकने तथा हाथापाई करने संबंधी अभिकथित विशेष अधिकार भंग करने के प्रश्न संबंधी मामले पर समिति की फोर्थ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैंशन के लिए मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Pr ivileges Committee) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary

Report of the Committee of Privileges with regard, to the question of alleged breach of privilege against Shri hider Singh Nain and Shri Bhalle Ram, Ex-M.L.As in regard to the obstruction and manhandling of Hon'ble Chief Minister and Sarvshri Vasudev Shama, Mange Ram and Dhir Pal, M.L.As. while they were coming towards the Haryana Vidh an Sabha to attend the Session on 21st December, 1987.

Sir, I also beg to move—

That the time for presentation of the firal Report to the House he extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस से प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो सर्वश्री इन्द्र सिंह नैन और भले राम द्वारा मैन हैंडलिंग का मामला प्रिविलेजिज कमेटी को सौपा गया है उसमें कमेटी को पूरा अख्तियार है कि वह ऐसे मामलों की जांच करे और अपनी रिपोर्ट मे किसी सजा के बारे में या और कोई भी सिफारिश करे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा मामला जिसकी बुनियाद में कुछ भी न हो (शोर एवं व्यवधान).....

श्री अध्यक्षः आप कैसे कहते हैं कि बुनियाद में कुछ भी नहीं है।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, इसका बुनियाद मे कुछ भी नही है। इसका टाईम हर सैशन में जानबूझ कर बढ़ाते जा रहैं हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, जहां तक– भले राम जी का ताल्लुक है, जिस दिन का यह मामला है उस दिन उनके अंकल की डैथ हुई थी और वे उनकी अर्थी को कन्धा दे रहैं थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mahender Partap ji, this is not the issuse. आप तो पुराने लैजिस्लेटर है –लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप पुराने लेजिस्लेटर होते हुए भी सारे इशूज को इकट्ठा क्यों करते हैं? This is not the way. You are not sitting in the Panchayat. (Noise and interruptions)

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेजिज कमेटी, जो आपकी तथा हाउस की नियुक्त की हुई है वह मामले की इंक्वायरी कर रही है। आनरेबल मैम्बर उर्स पर ऐसपर्शन डाल रहैं है। That has not been appointed by the Government. h is nominated by the Speaker and is a Committee of the House

जिसके ये भी आनरेबल मैम्बर हैं। वह प्रिविलेंजिज कमेटी हमारी अपनी है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, इ स हाउस की एक परम्परा रही है कि वह अच्छी रिवायात को कायम करता रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mahender Partap ji, please talk to me.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं लेकिन यह बात सही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कई मामलों को राजनीतिक तौर पर अटकाया जाता रहा है। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः जब चौधरी देवी लाल के बारे में प्रिविलेज मोशन आया था तो क्या आपने उस समय उसकी भर्त्सना की थी और क्या अब आप उसकी भर्त्सना करते हैं? क्या आपमें उसकी भर्त्सना करने की जुर्रत है? आपके शासन में कई गल्त काम हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः मैं कांग्रेस शासन की भी फेवर नही कर रहा हूं। (विघ्न) लेकिन इसको तो बुनियाद हो कुछ नही है। भले राम तो उस दिन यहां था ही नहीं जिसका नाम घसीटा जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please take your seat.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब .....

.

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded which is said without my permission. (Nise and interruptions) Please let me Proceed further.

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैडं कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) साप्ताहिक पौंग के सम्पादक, मुद्रक तपा प्रकाशक, श्री डी०आर० चौधरी के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 26 अगस्त, 1988 को श्री डी० आर० चौधरी, ऐडीटर, प्रिंटर एण्ड पब्लिशर औफ दि वीकली पींग द्वारा आनरेबल मैम्बर्ज औफ दि हाउस एण्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, श्री बी० डी० गुप्ता के अगेन्सट सीरियस ऐलीगेशज औफ करप्शन एण्ड यूजिंग वैरी डैरोगैटरी लैग्वेज के इशू पर कमेटी की सैकिन्ड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैटं करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैंशन के लिये मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Privileges Committee): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Shri D. R.

Chaudhary, Editor, Printer & Publisher of the Weekly Peeng in regard to publishing libellons matters in its issue dated 26.8.1988, making serious allegations of corruption, and using very derogatory language against the Hon'ble Member of this House and the Deputy Chief Minister, Shri B. D. Gupta.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैंट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है —

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) चण्डीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह हैडकांस्टेबल ट्रैफिक तथा सुरजीत सिंह कांस्टेबल के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 10 मार्च, 1989 को विधान सभा के सैशन को अटैन्ड करने के तिये आ रहैं सर्वश्री योगेश चन्द शर्मा एण्ड सुरेन्द्र कुमार मदान, एम० एल० एज० के साथ मिस बिहैंव करने तथा उन्हैं रोकने के लिये चंडीगढ़ पुलिस के सर्वश्री परमजीत सिंह, हैड कांस्टेबल ट्रैफिक और सुरजीत सिंह कांस्टेबल के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न के इशू पर कमेटी की फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्शन के लिये मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Privileges Committee): Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Sarvshri Paramjit Singh, Head Constable, Traffic and Surjit Singh, Constable, of Chandidarh Police in regard to misbehaviour and obstructing Sarvshri Yogesh Chand. Sharma and Surinder Kumar Madan, M.L.As., while they were coming to attend the Haryana Vidhan Sabha Session on the 10th March, 1989.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैटं करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(5) श्री रघु यादव, एम० एल० ए० के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए०, चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी, 12 मार्च, 1989 को श्री रघु यादव, एम० एल० ए० द्वारा डेली नैशनल हैरल्ड में प्रैस स्टेटमैंट देकर स्पीकर की इम्पार्शिऐलिटी पर रिफलैक्शन डालने के इशू पर कमेटी की फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्शन के लिये मोशन मूव करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Privileges Committee) : Sir, I beg to present the First Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege against Shri Raghu Yadav, M . L. A. in regard to the press statement given by him, published in the daily National Herald dated 12-3-1989 casting reflections on the impartiality of the Hon'ble Speaker.

Sir, I also beg to move—

That the time fcr the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next session.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब

Mr. Speaker : Let me move it first.

प्रस्ताव पेश हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : But be very brief.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान कौल एंड शकधर की किताब के पेज 239 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमे यह लिखा हुआ है –

"When a member seek to raise a question of privilege against another member, the Speaker before giving his consent to the raising of the matter in the House always gives an opportunity to the member complained against..... "

Mr. Speaker : This is not the stage for that. The matter has already been referred to the Committee of Privileges. You please take your seat.

श्री रघु यादवः स्पीकर साहब, ...

Mr. Speaker : This is not the way. Nothing is to be recorded.

16.00 बजे।

प्रश्न है –

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रैजैन्ट करंने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैडं कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन–

श्री राजेन्द्र चौधरी और श्री सीता राम जिन्दल के विरुद्ध विशेधाधिकार मामले संबंधी

श्री अध्यक्षः अब श्री भगवान सहाय रावत, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, श्री राजेन्द्र चौधरी और श्री सीता राम जिन्दल के अगेन्स्ट प्रिविलेज इशू, जो श्री हीरा नन्द आर्य, एम० एल० ए० ने मूव किया था, पर कमेटी की रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे।

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman. Privileges

Committee) : Sir, I present the Report of the Privileges Committee on the privilege issue against Sarvsbri Rajinder Chaudhary and Sita Ram Jindal on a privilege motion moved by Shri Hira Nand Arya, M.L.A.

Sir, I also move—

That the Report of the Privileges Committee in regard to the privilege issue against Sarvshri Rajinder Chaudhary and Sita Ram Jindal be taken into consideration.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारु): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जैसाकि पिछले दिनों पेंपर्ज में भी छपा था कि मैसर्ज जिन्दल ऐलम्यूनियम लिमिटेड भिवानी के सर्वश्री राजेन्द्र चौधरी तथा सीता राम जिन्दल जिनके खिलाफ हमारी प्रिविलेजिज कमेटी मे मामला विचाराधीन था, उन्होने उसके खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे ले लिया। मैं यह समझता हूं कि वह जो स्टे दिया गया है यह भी एक ब्रीच औफ प्रिविलेज है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कि इस स्टे देने वालों के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन लाया जाए।

Mr. Speaker : Mr. Arya, you have said a very valid thing regarding the breach of privilege committed by the High Court. इसके मुताल्लिक मैं परसों औबजर्वेशन दूंगा। I would request you not to touch this point now.

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस विषय में उन्होंने जो पैटीशन की है

उसमें हमारे सदन के नेता के खिलाफ बहुत गम्भीर और गलत आरोप लगाए हैं। सदन के नेता के खिलाफ, उप–नेता के खिलाफ यदि आरोप लगाए जाएं तो यह सारे हाउस पर रिफलैक्शन है। इसलिये उनके खिलाफ निश्चित रूप से एक और प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

Mr. Speaker : I have already said that I will certainly make my observation about it day after tomorrow. Now you please take your seat.

Question is—

That the Report of the Privileges Committee in regard to the privilege issue against Sarvshri Rajinder Chaudhary and Sita Ram Jindal be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now Shri Bhagwan Sahai Rawat, Chairman, Privileges Committee, will move that the House having considered the Report of the Committee **of** Privileges agrees with the recommendations contained therei

Shri Bhagwan Sahai Rawat (Chairman, Privileges Committee) : Sir, I beg to move—

That the House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the House having considered the Report of the

Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट, हाउस में पेश की गई है, उस रिपोर्ट को यदि पहले माननीय सदस्य पढ़ें फिर उस पर चर्चा की जाए तो उचित होगा क्योंकि हमें यह पता ही नही है कि इस रिपोर्ट में क्या है?

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हीरा नन्द आर्य ने जो बात कही है, वह ठीक है। जब हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं है तो इस पर डिस्क्शन कैसे होगी? (शोर)

Mr. Speaker : You please sit down now. The report has already been circulated to the members and the motion for its consideration has been adopted.

Question is—

That the House having considered the Report of the Committee of Privileges agrees with the recommendations contained therein.

The motion was carried.

नियम 64 के अधीन सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा वक्तव्य–

हरियाणा कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओ द्वारा विधान सभा का घेराव करने तथा धरना देने के प्रयास संबंधी

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से हाउस को एक जरुरी सूचना देना चाहूंगा। स्पीकर साहब, कुछ कांग्रेसियो ने आज विधान सभा का सैशन शुरू होने के वक्त असैम्बली का घेराव करने की कोशिश की है। मुझे यह समझ नही आता कि कांग्रेसी असैम्बली का घेराव किस लिए करना चाहते हैं? कोई कहता है उनकी मांग है कि चौधरी देवी लाल का हटाओ। चौधरी देवी लाल जी के हटाने की मांग को ले कर उन लोगों ने कुछ बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए हैं लेकिन मैं इन कांग्रेसियों का सदन के सामने पर्दा फाश करना चाहता हूं। दरअसल उनके मन में चौधरी देवी लाल का डर बैठा हुआ है। सिर्फ श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला ही नही बल्कि ' श्री राजीव गांधी भी चौधरी देवी लाल जी की ओंर हरियाणा सरकार की अच्छी कारगुजारियों' से घबरा गए हैं। उनका दिल हमारी समाज सेवा के लिए चलाई गई पालिसियों को सुन सुनकर कांप उठा है। श्री राजीव गांधी डरते हैं कि चौधरी देवी लाल ने कर्जा क्यों माफ कर दिया। जनता दल के नेता हरियाणा सरकार की मिसाल दे कर सारे देश में प्रचार करते घूम रहैं हैं कि अगर केन्द्र में जनता दल की सरकार बनी तो हम 10 हजार रुपए तक के कर्जे माफ कर देंगे। श्री राजीव गांधी का चौधरी देवी लाल जी को हटाने के पीछे एक वाहिद मकसद है कि आने वाले चुनावों के अन्दर जनता दल हरियाणा सरकार की अच्छी कारगुजारियों के नाम पर वोट न मांग सके। हरियाणा सरकार ने जो करके दिखलाया है, और सदन के माननीय सदस्यों ने जो हरियाणा के

लोगों के भले के लिये कानून पास किए हैं, वही कानून सारे देश में बनने चाहिएं। श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला चाहते हैं कि किसी तरह से चौधरी देवी लाल हट जाएं और वे केन्द्रीय सरकार के हुक्म से बुजुर्गों को मिलने वाली एक सौ रुपए माहवार की पैंशन बंद करवा दें। वे बेरोजगारों का भत्ता बंद करवाना चाहते हैं। हमने बेरोजगारों को इन्टरव्यू पर आने जाने के लिए जो मुफ्त बस सफर की सुविधा दी है, हमने किसानों को जो उनके खेतों के साथ लगे सरकारी दरखतों की बिक्री में से आधा हिस्सा दिया है, उन तमाम सहूलियतों को वे बंद करना चाहते हैं। श्री शमशेर सिह सुरजेवाला और श्री राजीव गांधी का मुद्दा सिर्फ चौधरी देवी लाल को हटाना है लेकिन वे हटा नहीं सकते हैं। चौधरी देवी लाल को तो सिर्फ यह सदन ही हटा सकता है और इस सदन में 90 में से 86 मैम्बर्ज चौधरी देवी लाल के साथ है क्योंकि चौधरी देवी लाल इस सदन द्वारा बनाई गई पालिसियों का पालन करते हैं। कोई यह कहैं कि कांग्रेसी सिर्फ चौधरी देवी लाल को ही हटाने की बात करते हैं तो उनकी सोच सही नहीं है। कांग्रेस वाले चौधरी देवी लाल के द्वारा शुरु की गई पालिसियों को बंद करना चाहते हैं ताकि समाज के लिए भले के लिए किए गये कामों का प्रचार आने वाले इलैक्शन में करके हम लोग सारे देश में जागृति पैदा न कर सके। (धन्यवाद)

वाक आउट्स

(1) सर्व श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह और मोहम्मद असलम खां द्वारा

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आई० पी० एम० साहब ने जो स्टेटमैंट दी है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः महैंन्द्र प्रताप जी, रूल 64 के तहत दी गई स्टेटमैट पर सप्लीमैटरी पूछने का कोई प्रोसीजर नहीं है। यदि आपके पास रूल्ज की किताब नहीं है तो मेरे से किताब ले जाना और उसे पढ़ लेना।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुने। कांग्रेस के वर्कर्ज के साथ अन्याय किया गया है। (शोर)

Mr. Speaker : Mahender Pratap ji, this is not the way and I will not allow it .

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप मुझे अपनी बात तो कहने दे। (शोर) ..... (शोर)

Mr. Speaker : This is not to be recorded.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर)

Mr. Speaker : Mahender Pratap ji, you cannot speak on this statement. (Interruption). Show me any procedure /rule under which you can speak.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। (शोर)

Mr. Speaker : You can come to my chamber and talk on this subject there. Now, you please take your seat. I will not allow you to speak like this.

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर)

Mr. Speaker : No, No. Mahender Pratap ji, you can not speak. Please take your seat. (Interruption). May I ask you, under what rule are you speaking ? This is not the way. You can not speak on this and I will not allow you. (Interruption). I say, you please sit down.

मुख्य मन्त्री (चौधरी देवी लाल): स्पीकर साहब, ये गलत परम्परा डाल रहैं हैं। इस तरह से सवाल पूछने का कोई तरीका नहीं है। हाउस को चाहिए कि इनको बाहर निकाल दिया जाये।

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, आप तो हमें अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दे रहैं हैं। (शोर)

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती तो फिर यहां हाउस में बैठने का क्या फायदा है। मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं। (शोर)

श्री मोहम्मद असलम खांः स्पीकर साहब, यदि आप हमारीबात नहो सुनते तो मैं भी इनके साथ एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं। (शोर)

(इस समय चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह और श्री मोहम्मद असलम खां सदन से बाहर चले गए।)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, ये सदन से वाक आउट करके चले गए हैं। यदि नहीं जाते तो हम उनसे डीगराम के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। (हंसी)

उप–मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव चौधरी महैंन्द्र प्र ताप सिंह विधायक के बारे में रखा है, वह ठीक रखा है। वे कभी भी हाउस की प्रोसिडिग्ज को ठीक ढंग से नही चलने देते। अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा और मैं भी दो साल सै इंच रहा हूं कि जब वे सप्लीमेन्टरी भी करते हैं तो सप्लीमेन्टरी क्यैश्चन नहीं करते बल्कि भाषण देते हैं। वे बार–बार सदन की कार्यवाही के दौरान बीच में बोलते रहते है। वे हमेशा ही सदन के जो नियम हैं, कायदे–कानून हैं उनकी अवहैंलना करते हैं और इनकी धज्जियां उड़ाते हैं। जो बातें उन्होंने अव कहीं है उनके कहने का अब कोई मौका नही था। आपने ठीक फरमाया कि अगर गवर्नमैंट की तरफ से कोई स्टेटमैंट आती है तो उस पर कोई बहस नही होती और न ही कोई क्वैश्चन होता है। लेकिन चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह

समय–असमय बेमतलब के हो बौलते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे आनरेबल साथी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने आज कांग्रेसियों द्वारा घेराव करने के सबंध में बड़ी डिटेल में सदन को बताया है। मेरे पास उनके नेताओं को एक सूची है। इस सूची में 19 लीडर हैं लेकिन इन 19 लीडरों में से केवल 3 जीवित हैं और बाकि सारे भूत हैं। जो जीवित लीडर हैं वे श्रीमती जसमा देवी, एम० एल० ए०, चौधरी 'राम प्रकाश और चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक एम० पी० इन तीन को छोड़ कर बाकी सारे भूतपूर्व हैं। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि जिसको पागल कुत्ता काट जाये अगर उसके पेट में 14 सूए लगा दिए जायें तो वह ठीक हो सकता है लेकिन कुर्सी के काटे का कोई इलाज नहीं है। आज जितने भी लोग घेराव के लिए आए, वे सब कुर्सी के काटे हुए हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। इनके पास आज भी कोई ऐसा मुद्दा नही था जिसको लेकर वे विधान सभा का घेराव करने के लिए आते। वे यह भी कहते हैं कि कर्जे माफ नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, हरेक गरीब आदमी का 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ हमने सहकारी बैकों का किया है। अगर कमर्शियल बैको के कर्जे माफ नहीं हुए तो वे कांग्रेस वालों की गलती से माफ नही हुए। इन्होंने इस मामले में कोई कन्ट्रीव्यूशन नहीं किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे सहकारी बैक हमारे कन्ट्रोल में थे, हमने सभी के कर्जे माफ किए हैं चाहें वे बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हों, गरीब किसान हों, टैक्सी वाले हों या दूसरे छोटे तबके वाले लोग हों, इन सभी के हमने अपने सहकारी बैकों के 10

हजार रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए हैं। चौधरी बंसी लाल जी ने बार–बार यह कहा है कि किसी का कर्ज माफ नही हुआ। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हू कि चौधरी बंसी लाल के सगे भाई का जो भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव के रहने वाले हैं उनका भी कर्जा माफ हुआ हैं। जिन–जिन लोगों का कर्जा माफ हुआ है उसकी लिस्ट पिछले सैशन में हमारे मुख्य मन्त्री जी ने सदन में पेश कर दी है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल के दामाद ने करोड़ों रुपये के कर्जे लिए हुए हैं। इसी प्रकार से पं० कमलापति त्रिपाठी की पुत्रवधु ने भी लाखों रुपये के कर्जे लिए हुए है। जबकि उन्होंने कोई फैक्टरी वगैरा भी नहीं लगाई हुई। ऐसे लोगों के कर्जे माफ नही हुए है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे प्रदेश के – जो राज्यपाल तपासे साहब थे, जिन्होने 1982 में एक घृणित कार्य किया था उनके बेटे और पुत्र–वधु द्वारा लिया गया कर्जा माफ नही हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि तपासे साहब ने गवर्नर जैसी इन्स्टीच्यूशन और राज्य– पाल के पद को हमेशा के लिए कलंक लवा दिया। इधर चौधरी देवी लाल को अपनें साथियों को सोमवार को फिजिकली पेश करने के लिये कहा जाता है और उधर एक दिन पहले एतबार के दिन चौधरी भजन लाल को मुख्य मन्त्री के पद की ओथ दिलाई जाती है। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा घृणित और निंदनीय कार्यवाही लोक तन्त्र में कोई और नहीं हो सकती। इसके बदले मे उन्हैंने अपने बेटे और पुत्रवधु के नाम पर करोड़ों रुपये के कर्जे लिये। अब उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है और कहा है कि

वे इन करोड़ों रुपये की अदायगी नही कर सकते। हमारे सदन के नेता चौधरी देवी लाल ने इस सदन में लोन लेने वालों की तथा जिनके कर्जे माफ हुए हैं, उनकी सूचि प्रस्तुत की थी और सदन के बाहर भी वे लोगों से जनसभाओ मैं बार–बार पूछते हैं कि क्या ऐसे लोगों के कर्जे माफ कर दिये जाने चाहिएं? लाखों लोग हवा मे हवा उठा कर कहते है कि कर्जे की माफी के स्थान पर उन्हैं तो जेल में भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पता नही इन लोगो ने कौन सा मुद्दा लें कर विधान सभा के सामने धरना दिया है? किस बात को ले कर ये लोग चौधरी देवी लाल के इस्तीफे की मांग कर रहैं हैं, समझ में नही आता कि क्या मुद्दा है, क्या मांग है, और इसकी क्या जस्टिफिकेशन है ? मेरे साथी चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ने बजा फरमाया है कि इस सरकार ने अनेक कल्याणकारी कार्य किये है और ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि ये सुविधाएं देश के अन्य लोगों को न मिल पाएं, सिवाय इसके और कोई बात नहीं है। सदन के नेता चौधरी देवी लाल की छवि राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी है। राजीव गांधी की रातों की नींद चौधरी देवी लाल की छवि ने उड़ा दी है। वे रात को खाट से उठ–उठ पड़ते हैं और चौधरी देवी का हौआ उन्हैं सोने नहीं देता। श्री राजीव गांधी को लगता है कि वे चुनाव लाजमी हार जाएंगे। हरियाणा सरकार की कारगुजारी से वे बौखलाए हुए है।

अध्यक्ष महोदय, कितने अफसोस की बात है कि हमारे पड़ौसी राज्य के राज्यपाल ने पोलिटिकल ब्यान दिया है, चिट्ठी लिख कर राजनैतिक मसले उठाये हैं। कोई भी कास्टिच्यूशन हैड औफ स्टेट को पोलिटिकल ध्यान देने को इजाजत नही देता है ऐसी बात कोई पोलिटिकल लीडर तो कह सकता है लेकिन राज्यपाल नही। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से हरियाणा की सरकार को दरखास्त किया जाए और इसके लिए ये लोग कोई बहाना ढूंढ रहैं हैं। ये लोग तो मौके की ताक में हैं कि जैसे कर्नाटक की सरकार को बरखास्त कर दिया था वैसे ही हरियाणा की सरकार को भी बरखास्त कर दिया जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय ये लोग भूल जाते हैं कि दिल्ली कर्नाटक से बहुत दूर है लेकिन दिल्ली तीन ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है। अगर इन लोगों ने इस किस्म की कोई हरकत या कोई ऐसी हिमाकत की तो पूरी दिल्ली का घेराव किया जाएगा। इन लोगों और श्री राजीव गांधी को दिल्ली से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ये लौग तो बहाना तलाश कर रहैं हैं कि किसी प्रकार से इस सरकार को भंग किया जाए, चौधरी देवो लाल के प्रभाव को रोका जाए और इस सरकार को डिमोरेलाईज किया जाए। इसलिए हमें चाहिए कि पड़ोसी राज्य के राज्यपाल ने संविधान के विरूद्ध जो कार्यवाही की है और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने पत लिखने की जो कार्यवाही की है, आज इस सदन के अन्दर उसकी निन्दा की जाये। आज हमारे प्रधान मन्त्री जी राज्यपाल जैसी इन्स्टीच्यूशन का काग्रेस के निहित स्वार्थों के लिए दुरूपयोग कर

रहैं हैं। उनकी इस प्रकार की कार्यवाही से वातावरण बिगड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आज जरूरत है कि इस प्रकार की बातों को रोका जाए और इस प्रकार के घेराव और बन्द करने की जो बातें हैं, उन पर रोक लगाई जाए।

(2) थी रघु यादव द्वारा

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्य मन्त्री जी ने हरियाणा मे काम करने के जो दावे किये हैं मैं उनसे 'सहमत नहीं हूं'।

श्री अध्यक्षः आप कृपया बैठिए।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कुछ कहा है, चूकि मैं उसमें अपने आपको ऐसोशियेट नहीं करना चाहता इसलिए मैं वाक आउट करता हू। (शोर)

(इस समय श्री रधु यादव कुछ बोलते हुए सदन से बाहर चले गये।)

उप–मुख्य मन्त्री (श्री मंगल सैन): स्पीकर सर, रूल 64 के तहत दी गई स्टेटमैंट के बारे में चौधरी महैंन्द्र प्रताप जो बात कह रहैं थे वह बड़ी ही असामयिक और इर्रेलेवैटं थी। आपने उनका बजा रोका। जब से चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह जी कांग्रेस की बैंचों पर बैठे हैं, वे कायदे–कानून भूल गये हैं। एक बार वे लोकदल की टिकट पर जीत कर आए थे और बाद में दल–बदल

कर कांग्रेस में चले गये। स्पीकर सर, आपकी मुश्किल यह है कि आप एम० एल० एज० की क्लास नही लगा सकते जिसमें यह समझाया और सिखाया जाए कि क्वैश्चन आवर क्या होता है, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वैश्चन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन और दूसरे मोशन क्या होते है और किस समय क्या बोलना चाहिए? स्पीकर सर, ये लोग आपकी शराफत ओर लीनियेसी का दुरुपयोग करना चाहते हैं।

स्पीकर सर, मैं बड़े आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि सदन के नेता ने ठीक ही कहा था कि ऐसी गलत परम्परा न डाली जाये और ऐसे सदस्यों को सदन से बाहर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेन्द्र सिंह जी ने उल्लेख किया है कि केन्द्र में कांग्रेस का शासन है लेकिन इनको अपनी सरकार चलानी नही आती और न ही कांग्रेस के लोगों को अपोजीशन में काम करना आता है। हम लोग सालों साल अपोजीशन में रहैं इसलिए हमें पता है कि अपोजीशन का क्या महत्व होता है और क्या रोल होता है। हमें यह भी पता है कि सरकारी बैचों का क्या रोल होता है। कांग्रेस पार्टी के भाइयों ने बंगाल मे गवर्नर का घेराव कर लिया। हम जो बात भी कहना चाहते थे वह राजभवन में जा कर कहते थे, इनकी तरह से घेराव नही करते थे। आज ये असैम्बली का घेराव करने और धरना देने के लिए चले आये और अपने आप ही पता नहीं क्यों चले गये? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग हमारे मुकाबले में थे और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा मे कांग्रेस पार्टी

के मुख्य मन्त्री चौधरी बंसी लाल थे लेकिन फिर भी जनता जर्नादन ने इस सांझे मोर्चे की सरकार को जिता कर भेजा है। यह जनता की हिम्मत है कि हमें जिता कर भेजा है। जब तक जनता हमारे साथ है तब तक ये लोग हमारा बाल बांका नही कर सकते। जनता जर्नादन चौधरी देवी लाल के साथ है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। आजकल हमारी सभाओं मैं लाखों लोग उमड़ कर आते है क्योंकि जो भी बातें हमने जनता के सामने कही थीं, वै पूरी की हैं और आज भी जनता के हित की बात की जा रही है। आजकल सैन्टर में सरकार डांवाडोल हो रही है। एक मुख्य मंत्री महोदय कह रहैं है कि बन्द नही होना चाहिए, उनको तो बोलने की इजाजत है लेकिन जब हम कहते हैं कि बन्द होना चाहिए तो हमें बोलने की इजाजत नहीं है। इन्होंने लोक तन्त्र को कंलकित किया है। जब औडिटर जनरल कह रहैं हैं कि बोफोर्स सौदे मे भ्रष्टाचार हुआ है फिर यह केन्द्र की सरकार क्यों नहीं मान रही है? दूसरी ओर हमने साहब समझा रहैं हैं कि अपोजीशन ने असंवैधानिक बात की है। हमें कांस्टिच्यूशन पढ़ा रहैं हैं जैसे हम स्कूल और कालेज जाने वाले बच्चे हैं। मैं आपके जरिए रे साहब से कहना चाहता हूं कि अगर वे इतने अक्लमन्द और पापुलर होते तो बंगाल में क्यों पिटते? उन्होंने कांग्रेस का भट्ठा बैठा दिया। अगर ब्यानबाजी का बहुत शौक है तो राज्यपाल का पद छोड़ कर बंगाल जायें। वहां बंगाल में इन्हैं ज्योति बसु समझा देंगे कि राजनीति क्या है? मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस मौके पर सैन्टर की सरकार बहाना ढूंढ रही है कि इस सरकार

को कैसे तोड़ा जाये? लेकिन केन्द्र सरकार को यह बात भी पता होनी चाहिए और उसे समझनी चाहिए कि हरियाणा सरकार किसान, मजदूर और आम आदमी की सरकार है। जब तक उनका समर्थन रहैंगा तब तक डस सरकार का बाल बांका नहीं हो सकता। यही बात मैं वाहना चाहता था।

नियम 104 तथा चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह, एम०एल० ए० का निलम्बन

सिंचाई तथा बिजली मन्त्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, एक जरूरी सूचना देने के लिए आपकी परमिशन से मैं खड़ा हुआ था लेकिन जिस प्रकार से श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह जी ने सदन में बीहैंव किया है वह ठीक नही था। हम तो केवल वही बता रहैं हैं जो कुछ प्रदेश मैं हुआ है। इस मौके पर गवर्नमैंट ने यह जरूरी समझा कि असैम्बली चल रही है इस लिए सारी बातों के विषय में असैम्बली को सूचित किया जाये। मैंने जो बातें कही थी, वे कोई अनहोनी बातें नही थी। जो बात राइटिंग में आ गई है और लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है चाहैं वह कर्जा माफी की थी, चाहैं पेन्शन की थी, चाहैं बेकारी भत्ते की थी, चाहैं इन्टरव्यू पर आने वाले लोगों की किरायेमाफी की थी, चाहैं दरखतों में हिस्सेदारी की थी, ये सब बातें हो चुकी हैं। कोई ऐसी बात नही है जो आज से बहुत पहले हरियाणा प्रान्त के किसानों को, 36 बिरादरी के सभी वर्ग के लोगों को रिलीफ मिलना शुरु न हो गया हो लेकिन महैंन्द्र प्रताप सिंह जी इस बात को बरदाश्त नहीं कर

सके। इस प्रकार से बीहैंव करना ठीक नहीं है। महैंन्द्र प्रताप सिंह जी एक विधायक हैं, उन्हैं ठीक से बीहैंव करना चाहिए। डाक्टर मंगल सैन और श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने ठीक ही कहा है कि हमारे पड़ोसी राज्य के गवर्नर साहब जो अपने आप को कांस्टिच्यूशनल ऐक्सपर्ट मानते हैं और क्लेम करते हैं कि मैं लोडिंग लायर हूं और कांस्टिच्यूशनल ऐक्सपर्ट हूं, वे ऐक्सपर्ट हैं नहीं लेकिन अपने आपको मानते हैं। 30 अगस्त के बन्द के पश्चात् जिस तरह का उन्होंने बीहैंव किया है वह ठीक नहीं किया। डाक्टर मंगल सैन जी और मैंने प्रैस मे स्टेटमैंट दी है और मुख्य मन्त्री महोदय ने उनके पतों का जवाब दिया है। मेरे ख्याल मे सन 1947 से आज तक किसी भी गवर्नर ने इस प्रकार का व्यवहार रही किया जिस गैर–जिम्मेदारी के साथ श्री एस० एस० रे ने बीहैंव 30 अगस्त के बन्द के बारे में किया है इन्होंने दो पत्र लिख दिये, जो मोस्ट कन्डेमेबल हैं। एक कहानी हरियाणा में बडी चलती है। स्पीकर साहब, जब घोड़े के नाल लगवाने लगे तो मेंढकी ने टांग उठा ली। चीफ मिनिस्टर, हिमाचल प्रदेश, श्री वीरभद्र सिंह ने भी उनके साथ हाथ मिला लिये। शांता कुमार जी बढते आ रहैं हैं। बी० जे० पी० हिमाचल में बढ़ती आ रही है। जनता दल बढ़ता आ रहा है। चुनाव बहुत नजदीक हैं। वह भी राजीव के दरबार मे अपने नम्बर बनाना चाहते थे। इसलिये उन्होंने भी पत्र लिख दिया। ऐसे जो महानुभाव हैं, जो पड़ौसी प्रदेश के इ'ट– रनल मैटर्ज में ख्यामखाह दखलअन्दाजी करते हैं, उनका कडंक्ट वाकई निन्दनीय है।

स्पीकर साहब, महैंन्द्र प्रताप सिंह ने जो मिस–कडक्ट और अनरूली बीहैंवियर हाउस में किया है, वह निन्दनीय है। मैं इसके लिये आपकी सेवा में एक मोशन मूव करता हूं –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryara Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Shri Mahender Pratap Singh, M.L.A.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Shri Mahender Pratap Singh, M.L.A.

Mr. Speaker : Question is—

That Rile 164 of the Rules of Procedure and Conduct of Businessin the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Shri Mahender Pratap Singh, M.L.A.

The motion was carried.

Irrigation & Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, I beg to move--

That Shri Mahender Pratap Singh, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct, most irresponsible behavour unbecoming of a Member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Shri Mahender Pratap Singh M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misconduct most irresponsible behaviour unbecoming of a Member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That Shri Mahender Pratap Singh, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the session for his misoonduct most irresponsible behaviour unbecoming of a Member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

बिल (इन्ट्रोड्यूस्ड सदन की अनुमति से) –

दि पंजाब ऐग्रीकलचरल प्रोड्यूस माकिंट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989

श्री अध्यक्षः अब ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल ओड्यस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1989 को इन्ट्रोड्यूस करने के लिये हाउस की परमिशन लेंगे।

Agriculture Minister (Shri Ranjit Singh) : Sir, I beg to move—

That leave be granted to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill,

1989.

Mr. Speaker : Motion moved —

That leave be granted to introduce the Punjab Agriculturul Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 1989.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 1989.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इंट्रोड्यूस करेंगे।

Agriculture Minister (Shri Ranjit Singh) : Sir, I introduce the Bill.

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल सुबह 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

16. 29 बजे।

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार दिनांक 12 सितम्बर, 1989 को प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)